(आयोग की वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in पर दिनांक 23.04.2026 को अपलोड किया जाए)

भारत सरकार,	Government of India,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,	Min. of Personnel, Public Grievances & Pensions,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,	Dept. of Training and Personnel,
कर्मचारी चयन आयोग,	Staff Selection Commission
ब्लॉक स० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,	Block No. 12, CGO Complex,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	Lodhi Road, New Delhi – 110003

[कर्मचारी चयन आयोग (मु.) की वेबसाइट: https://ssc.gov.in]

विज्ञप्ति

संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2026

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	23.04.2026 से 14.05.2026
ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि और समय	14.05.2026 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि और समय	15.05.2026 (23:00 बजे)
'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की तिथि	19.05.2026 से 20.05.2026 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम (पेपर-I)	अगस्त-सितंबर 2026
आवेदनपत्र भरने में कठिनाई होने पर कॉल करने हेतु टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर	1800 309 3063 (टोल फ्री)

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित होता है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है."

फा.सं. HQ-C11017/1/2026-C-1:- कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों के लिए कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक के समूह 'ख' अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा।

1.1 पदों की अनंतिम रिक्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

कोड	पद का नाम	वेतनमान

ए	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (के.स.रा.भा.से.) में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अ.अ.)	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)
बी	सशस्त्र सेना मुख्यालय (स.से.मु) में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अ.अ.)	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)
सी	केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (क.हि.अ.) / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अ.अ.)/ कनिष्ठ अनुवादक (क.अ.)	स्तर-6 (35400-112400/- रुपए)
डी	केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक (व.हि.अ.) / वरिष्ठ अनुवादक (व.अ.)	स्तर-7 (44900- 142400/- रुपए)

1.2 अनंतिम रिक्तियां :

अनंतिम रिक्तियों की कुल संख्या 84 है। आयोग द्वारा रिक्तियों संग्रहण किया जा रहा है । अद्यतित रिक्तियां, यदि होंगी, तो पदवार और श्रेणीवार रिक्तियों के साथ आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in> For Candidates> Tentative Vacancy) पर उपलब्ध कराई जाएगी । अभ्यर्थी ध्यान दें कि राज्य-वार / क्षेत्र-वार रिक्तियां आयोग द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है । अभ्यर्थी राज्य-वार / क्षेत्र-वार रिक्तियों से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों को संपर्क कर सकते हैं ।

2. आरक्षण और दिव्यांगजनों के लिए पद की उपयुक्तता :

2.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आकव) / भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) और बेंचमार्क दिव्यांग (बें.दि) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

2.2 उन पदों को छोड़कर जिनके लिए किसी मंत्रालय / विभाग / संगठन / कार्यालय आदि में किसी दिव्यांगता के संबंध में कोई विशिष्ट आवश्यकता / दिशा निर्देश हैं, परीक्षा की इस विज्ञप्ति में शामिल कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडीIII, दिनांकित 04.01.2021 एवं समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पाया गया है:

अधिसूचना सं. 38-16/2020-DDIII, दिनांक 04.01.2021 को देखने के लिए वेब लिंक नीचे दिया गया है :
"https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/files/224370.pdf"

क्रमांक	**पद नाम**	**कार्यात्मक आवश्यकता**	**बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी**
1	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक / वरिष्ठ अनुवादक / वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) ने.ही, अ.दृ ख) ब., श्र.दि. ग) ए.हा., ए.पै., दो.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी, तंत्रिका / अंग

			अक्षमता के बिना री.वि. (रीढ़ की विरूपता) एवं री.चो. (रीढ़ की चोट) घ) ऑ.स्पे.वि., वि.अ.अक्ष, मा.रो. ङ) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं
2	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक/ कनिष्ठ अनुवादक / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	बै, खड़े, चल, झु, प.लि., दे, सु, सं	क) ने.ही, अ.दृ ख) ब. , श्र.दि. ग) ए.हा., ए.पै., दो.पै., ए.हा.ए.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी, मा.दु. तंत्रिका / अंग अक्षमता के बिना री.वि. (रीढ़ की विरूपता) एवं री.चो. (रीढ़ की चोट) घ) ऑ.स्पे.वि.(ह), वि.अ.अ., मा.रो. ङ) ब.दि. जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम:

कार्यात्मक आवश्यकता: बै = बैठना, खड़े = खड़ा होना, चल = चलना, झु = झुकना, प.लि = पढ़ना और लिखना, दे. = देखना, सु. = सुनना, सं = संचार

शारीरिक अक्षमताओं की प्रकृति: ने.ही = नेत्रहीन, अ.दृ = अल्प दृष्टि, ब.= बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.हा = एक हाथ प्रभावित, ए.पै. = एक पैर प्रभावित, दो.पै = दोनों पैर प्रभावित, ए.हा.ए.पै = एक हाथ और एक पैर प्रभावित, प्र.प = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु = अभिसाधित कुष्ठ, बौ. = बौनापन, ए.ह.पी = एसिड हमले से पीड़ित, री.वि.= रीढ़ की विरूपता, री.चो. = रीढ़ की चोट, मा.दु. = मांसपेशीय दुर्विकार, ऑ.स्पे.वि.(ह) = ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (ह=हल्का, म.= मध्यम), बौ. अ. = बौद्धिक अक्षमता, वि.अ.अ = विशिष्ट अभिगम अक्षमता, मा.रो. = मानसिक रोग, ब.दि. = बहु दिव्यांगताएं।

नोट: उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए पदों की उपयुक्तता भारत सरकार के संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों और सांविधिक निकायों सहित मांग करने वाले मंत्रालयों / विभागों / संगठनों द्वारा प्राप्त छूट, यदि कोई है, के अध्यधीन होगी।

2.3 आयोग अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए प्रयोक्ता विभागों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार करता है। किसी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या के निर्धारण करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव, विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण प्रयोक्ता विभागों के अधिकार क्षेत्र (डोमेन) के अंतर्गत आते हैं। इन मामलों में उत्पन्न होने वाले किसी भी अदालती मुकदमे या कानूनी मुद्दों को संभालने की जिम्मेदारी संबंधित प्रयोक्ता विभागों की होगी।

2.4 चूंकि भरे जाने वाले पद समूह ‘ख’ पद हैं, यदि संगत दिशा निर्देशों में अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है तो भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) की श्रेणी के लिए इनमें आरक्षण नहीं है। तथापि, मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार, भू.पू.सै. अभ्यर्थियों को आयु में छूट अनुमत्य है।

3. <u>राष्ट्रीयता/नागरिकता:</u>

अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से होना चाहिए:-

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iii) भूटान की प्रजा हो, या

(iv) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंजान्यिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

(v) बशर्ते कि उपरोक्त (ii), (iii) और (iv) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो। जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

<u>नोट: यदि सीमा सडक संगठन (बीआरओ) में कोई रिक्ति रिपोर्ट की गई है तो इन रिक्तियों के लिए केवल पुरूष अभ्यर्थी ही पात्र हैं</u>।

4. <u>आयु सीमा एवं आयु में छूट :</u>

4.1 (क) आयु का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि डीओपीटी के का.ज्ञा. सं. 14017/70/87-स्था.(आर आर) दिनांक 14-07-1988 में निहित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.08.2026 निर्धारित की गई है। अन्य पदों के लिए आयु सीमा निम्नानुसार है :
दिनांक 01.08.2026 को आयु 18 से 30 वर्ष अर्थात जिन अभ्यर्थियों का जन्म 02.08.1996 से पहले और 01.08.2008 के बाद न हुआ हो, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

4.2 (i) ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट और आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड निम्नानुसार हैं :

कोड संख्या	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट**
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अपिव	3 वर्ष
03	दिव्यांगजन (अनारक्षित)	10 वर्ष
04	दिव्यांगजन (अपिव)	13 वर्ष
05	दिव्यांगजन (अजा/अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	दिनांक **01.08.2026** को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा

		की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष।
07	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक।	3 वर्ष
08	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)।	8 वर्ष

(ii) आयु पात्रता के निर्धारण के लिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई वही जन्म तिथि आयोग द्वारा स्वीकार की जाएगी जोकि उसके मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित है और इसमें परिवर्तन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार/ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iii) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

(iv) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया है अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में है कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक की स्थिति भी प्राप्त करनी होगी।

(v) **स्पष्टीकरण:** भूपूसै से अभिप्राय वह व्यक्ति है-

क. जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

i. जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जा रहा हो; या
ii. जिसे चिकित्सा आधार पर या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो जिसे सैनिक सेवा माना जा सके और जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
iii. जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

ख. जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें

प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल हैं ; अथवा

ग. सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों या सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पैंशन मिली हुई है; अथवा

घ. ऐसे कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

ड. प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

च. भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

छ भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

ज. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नियमित आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं.36034/1/2014-स्था.(आ.) में यथा उल्लिखितानुसार वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा करता /करती है/वचन देता /वचन देती है।

5. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुपः

5.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें संबंधित मांगकर्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र विहित रूप में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव / बे.दि. / भूपूसै होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। प्रमाणपत्रों के प्रारुप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध में संलग्न हैं। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। **किसी अन्य प्रारूप (फॉर्मैट) में प्रस्तुत प्रमाणपत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।**

5.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित प्रयोक्ता संगठनों / कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी चरण में, इस तरह के

प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं, जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। **यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी कई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के लिए प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय / संबंधित प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।**

*"उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी **X** ने अपने आवेदनपत्र में अपनी श्रेणी अपिव भरी है। यदि **X** दस्तावेज सत्यापन के समय या प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष किसी भी चरण में परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और किसी श्रेणी के अंतर्गत उसकी अभ्यर्थिता के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।"*

5.3 बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्लूबीडी) अभ्यर्थी ध्यान दें कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के अनुसार आवेदनपत्र में भरते समय उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणी अर्थात अदि/श्रदि/दृदि/अन्य बेंचमार्क दिव्यांगजन का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी में बाद में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी भी चरण में संबंधित प्रयोक्ता संगठनों /कार्यालयों द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाए कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी- **III,** दिनांक 04.01.2021 (यथासमय संशोधित) में उल्लिखितानुसार दिव्यांगता / दिव्यांगताओं की उप श्रेणी / उप श्रेणियों (जैसे एक बांह, एक पैर, दोनों पैर, बौनापन, वि.अ.अ., मा.रो. आदि) का दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरे गए बेंचमार्क दिव्यांग संबंधी दावे के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के लिए प्रयोक्ता संगठन / कार्यालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा और इस मामले मे आयोग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस बारे में डाक, ई मेल, दस्ती आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

5.4 अजा/अजजा/अपिव/ बें.दि./भूपूसै स्थिति के दावे या किसी अन्य लाभ नामत: शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। यहां निर्णायक तिथि का अभिप्राय यह नहीं है कि प्रमाणपत्र की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि पर अभ्यर्थी यथा-प्रयोज्य अजा./ अजजा./ अपिव / बें.दि. / भूपूसै श्रेणी के अंतर्गत होना चाहिए। तथापि, आकव श्रेणी में आरक्षण के आधार नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के का.ज्ञा. सं 36039/1/ 2019-स्था.(आ.) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र है।

5.5 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चहिए कि वह निर्णायक तिथि अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है। अपिव श्रेणी

के आवेदक, जो भारत सरकार के समय-समय पर संशोधित स्थायी निर्देशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं और आयु में छूट, आरक्षण आदि की मांग करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से प्रारूप **(अनुबंध- VIII)** के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । ऐसे अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि होने तक अनंतिम रहेगी ।

नोट: आयोग अभ्यर्थियों से निर्णायक / कट ऑफ तिथि के भीतर जारी अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं करेगा । अपिव अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके दावे के सत्यापन के अध्यधीन अनंतिम रहेगी

5.6 यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहता है तो उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास दिनांक 31.01.2019 के का.ज्ञा. सं. 36039/1/2019-स्था. (आ.) के अनुसार वित्त वर्ष 2025-2026 आय के आधार पर जारी वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र हो । ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण की मांग करने वाले आवेदकों को, आयोग / संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा मांगे जाने पर, अनिवार्य रूप से प्रारूप **(अनुबंध- IX)** के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण आदि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि होने तक अनंतिम रहेगी ।

5.7 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा शैक्षिक योग्यताओं, जाति / श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्रों / दस्तावेंजों की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती और उन्हें संतोषजनक नहीं पाया जाता। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/आकव/ बे.दि./भूपूसै श्रेणी का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

6. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक द्वारा सहायता (नवीनतम नीति के अनुसार अद्यतन किया जाएगा):

6.1 दृष्टिहीनता, गतिविषयक दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहता है तो **प्रलिपिक/ सहायक तकनीक की सुविधा प्रदान की जाती है।** चूंकि ये पद दोनों बांह प्रभावित दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अत: ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

6.2 बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले शेष व्यक्तियों के मामले में, परीक्षा के समय यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर **प्रलिपिक/ सहायक तकनीक** की सुविधा उपलब्ध की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा लिखने हेतु प्रलिपिक अत्यावश्यक है । ऐसे प्रमाणपत्र सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा **अनुबंध-I** पर दिए गए प्रोफ़ॉर्मा के अनुसार जारी किए जाने चाहिए ।

6.3 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी का.ज्ञा. सं. 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसरण में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई का

अनुभव करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को **प्रलिपिक/ सहायक तकनीक** की सुविधा भी प्रदान की जाएगी । यह सुविधा **अनुबंध-Iक** के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

6.4 बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थियों को **प्रलिपिक/ सहायक तकनीक** की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदनपत्र में इसका विकल्प चुना हो।

6.5 यदि बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांग अभ्यर्थी अपने ही प्रलिपिक का विकल्प देता है तो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए :

क) किसी व्यक्ति को आयोग की वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) और आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद ही प्रलिपिक के रूप में काम करने की अनुमति दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी का प्रलिपिक आधार प्रमाणित नहीं है, तो आयोग अभ्यर्थी को **प्रलिपिक/ सहायक तकनीक** उपलब्ध कराएगा।

ख) कोई भी प्रलपिक एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान नहीं करेगा ।

ग) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में कार्य नहीं करेगा । यदि किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने अन्य बेंचमार्क दिव्यांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए प्रलिपिक के रूप में कार्य किया है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

घ) प्रलिपिक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होगी ।

ङ) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रलिपिक के बारे में दी गई जानकारी सही है। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी (बें.दि. / दि.) ने प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाया है और वह प्रलिपिक किसी दूसरे की नकल करता हुआ पाया गया है और/अथवा प्रलिपिक या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी (बें.दि. / दि.) की अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी ।

च) अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा लिए गए प्रलिपिक आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर दिए गए वारित व्यक्तियों की सूची में शामिल नहीं हैं। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग/क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए वारित व्यक्तियों की सूची को ध्यान से देखें ।

नोट:- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, **अभ्यर्थी के साथ-साथ प्रलिपिक को भी मौजूदा नियमों के अनुसार वारित कर दिया जाएगा**, प्रलिपिक के खिलाफ प्रासंगिक कार्रवाई और यदि आवश्यक हुआ तो आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

6.6 प्रलिपिक के पंजीकरण और उसके लिए विकल्प देने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रलिपिक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनने से पहले, उस व्यक्ति (प्रलिपिक) के लिए आयोग की वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करना होगा और उसे आधार प्रमाणित होना चाहिए । पंजीकरण के दौरान प्रलिपिक के मोबाइल नंबर पर जनरेट किए गए ओटीआर नंबर को अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा ताकि वह उस व्यक्ति को अपना प्रलिपिक चुन सके।

(ख) जब प्रवेश प्रमाणपत्र लाइव हो जाता है, तो अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर संपर्क करना होगा और प्रलिपिक का ओटीआर नंबर देना होगा। एकबारगी पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और प्रलिपिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को प्रलिपिक से ओटीपी प्राप्त करना होगा और पोर्टल पर उपयुक्त फ़ील्ड में उसे भरना होगा। अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि प्रवेश प्रमाणपत्र जनरेट करते समय अपना स्वयं का प्रलिपिक चुनने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके ।

(ग) प्रक्रिया पूरी करने के बाद, अभ्यर्थी का प्रवेश प्रमाण-पत्र तथा प्रलिपिक का प्रवेश पास तैयार हो जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकता है।

(घ) यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र तैयार करते समय अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में प्रलिपिक का विकल्प चुनने के बावजूद स्वयं प्रलिपिक नहीं लेना चाहता है, तो अभ्यर्थी आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सहायता का विकल्प ले सकता है। ऐसा विकल्प चुनने के बाद अभ्यर्थी प्रवेश प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा के समय प्रलिपिक/सहायक तकनीक की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ङ) यदि अभ्यर्थी द्वारा चुना गया प्रलिपिक, जिसका प्रवेश पास भी तैयार हो चुका है, किसी कारण अभ्यर्थी की सहायता के लिए परीक्षा के समय नहीं आता है, तो आयोग परीक्षा के समय प्रलिपिक/सहायक तकनीक उपलब्ध कराएगा ।

6.7 अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के समय **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उपर्युक्त पैरा 6.1, 6.2 और 6.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों और अपना प्रलिपिक का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-II क** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक का विवरण प्रस्तुत करना होगा । इसके अलावा, प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (**पैरा 13.7** पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। **अनुबंध-II / अनुबंध-IIक** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि, बाद में, यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।

6.8 यदि कोई अभ्यर्थी अपना स्वयं का प्रलिपिक चुनता है तो ऐसे मामले में प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी किसी अन्य दिव्यांग / बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी की इस परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में सहायता करते पकड़ा गया तो, उन दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी

6.9 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 6.1, 6.2 और 6.3 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

6.10 पैरा 6.1, 6.2 और 6.3 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

6.11 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.12 बेंचमार्क दिव्यांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय या किसी अन्य समय, यथा-प्रयोज्य, प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

6.13 एक आंख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना या दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैंस (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

7. अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं (दिनांक 01.08.2026 तक) :

7.1 पद कोड 'ए' से 'सी' के लिए (कनिष्ठ हिंदी अनुवादक / कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी / कनिष्ठ अनुवादक)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी तथा हिंदी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री और हिंदी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में लिया गया हो ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी तथा अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो ;

और

हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

7.2 <u>पद कोड 'डी' के लिए (वरिष्ठ हिंदी अनुवादक/ वरिष्ठ अनुवादक)</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नात्कोत्तर डिग्री;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी तथा हिंदी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिंदी माध्यम से स्नात्कोत्तर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी तथा अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा इनमें से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री और हिंदी तथा अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा स्नातक स्तर पर इनमें से किसी एक को परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के लिया गया हो ;

और

हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।

7.3 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा

डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा / डिग्रियां / प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो। तथापि, ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य होनी चाहिए जब अभ्यर्थी ने प्राप्त किया हो।

7.4 भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) में दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम अनुमत्य नहीं हैं। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में, डब्लू.पी.(सी) सं. 382/2018 में एमए सं.3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11-03-2019 के आदेशानुसार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा।

7.5 अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत, संबंधित प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन (डीवी) किया जाएगा। जब संगत दस्तावेज संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के प्रयोजनार्थ मांगे जाएंगे तो अभ्यर्थियों को कट-ऑफ दिनांक को अथवा उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में इस प्रकार के दस्तावेज, जैसे - अंकपत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र इत्यादि मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा, उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

7.6 वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम निर्णायक तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो उनके संबंध में भी शैक्षिक योग्यता को पूरा होना माना जाएगा। यह पुन: बताया जाता है कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का परिणाम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा निर्णायक-तिथि से पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं हैं।

7.7 अभ्यर्थियों के पास दिनांक 01.08.2026 को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।

8. आवेदन करने का तरीका और आवेदन शुल्क:

8.1 आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात http://ssc.gov.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से अथवा mySSC मोबाईल एप्लीकेशन (जोकि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुबंध- III** और **अनुबंध- IV** और साथ ही, आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल एप से संबंधित दिनांक 02.6.2025 की सूचना का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन सैम्पल प्रपत्र **अनुबंध- IIIक** और **अनुबंध- IVक** के रूप में दिए गए हैं।

8.2 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें नई वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई साइट के लिए कार्य नहीं करेगा। एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत निर्देश इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-।।।** में दिए गए हैं।

8.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु नवीनतम खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8.4 आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को अपना पहले से मौजूद फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को आवेदनपत्र मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कंप्यूटर / मोबाइल फोन के सामने खड़े होना/ बैठना होगा तथा फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा।

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
(iii) अपने आप को वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें।
(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में निर्धारित आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और यह न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।
(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

8.5 परीक्षा में शामिल होने के दौरान अभ्यर्थी को वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में उसकी फोटो लगाई गई है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा न हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसे फोटोयुक्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले ली गई फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिनमें उनकी पहले की फोटो लगाई गई है, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन को उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे।

8.6 आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता अस्वीकृत या रद्द कर दी जाएगी। तथापि, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन **आधार पर आधारित प्रमाणीकरण की प्रक्रिया** अपनायी है, उनका आवेदन उपरोक्त आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा।

8.7 अभ्यर्थी को जेपीईजी/ जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटो युक्त और धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन और उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के **आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया** के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन को उपरोक्त आधार पर **अस्वीकार नहीं किए जाएंगे**।

8.8 बेंचमार्क दिव्यांग/ दिव्यांग अभ्यर्थी, जो आरक्षण या प्रलिपिक अथवा दोनों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय यथा प्रयोज्य **अनुबंध-I, अनुबंध-Iक और अनुबंध- X, अनुबंध- XI** के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

8.9 ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय 14.05.2026 (23:00 बजे) है।

8.10 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।

8.11 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.12 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। उन्हें यह जांच भी कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। डीओपीटी द्वारा दिनांक 21.06.2016 को जारी अपने के का.ज्ञा. सं.39020/1/2016-स्था(बी) के निर्देशों के अनुसरण में, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदनपत्र और परीक्षा के अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ों (स्कोर/अंकपत्र, उत्तर पत्रक आदि) की एक प्रति कम से कम 03 वर्ष की अवधि के लिए अपने पास रखें, ताकि भविष्य में अन्य संगठनों द्वारा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार के मामले में इसका संदर्भ लिया जा सके।

8.13 देय शुल्क: 100 / - रुपये (मात्र एक सौ रुपए)।

8.14 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

8.15 अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क का भुगतान दिनांक 15.05.2026 (23:00 बजे) ऑनलाइन मोड नामत: भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

8.16 अभ्यर्थियों, जिन्हें शुल्क भुगतान करने से छूट प्रदान नहीं की गई है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके शुल्क का भुगतान हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा

सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8.17 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [19.05.2026 से 20.05.2026 (23:00 बजे तक)]:

9.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

9.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को आशोधित / संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

9.4 सुधार राशि की प्राप्ति के अध्यधीन नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

9.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।

9.6 यदि लागू सुधार शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त नहीं होते हैं, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाती है और यह जानकारी आवेदन पत्र प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होती है। ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन वैध रहेगा।

9.7 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

9.8 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

10. परीक्षा केन्द्र:

10.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (केंद्रों) को अवश्य इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	परीक्षा केंद्र (केंद्रों) का नाम तथा केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों का पता और वेबसाइट
1	भागलपुर (3201), गया (3203), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), प्रयागराज (3003), बरेली (3005), गोरखपुर (3007),झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), वाराणसी (3013), छपरा (3208), सहरसा (3210), दरभंगा (3202), पूर्णिया (3209), मुंगेर (3211)	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/** बिहार तथा उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34 ए, महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211001 (http://ssccr.gov.in)
2	श्री विजयापुरम (4802), रांची (4205), धनबाद (4206), भुवनेश्वर (4604), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415), कल्याणी (4419)	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/** अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, आठवां तल, प्रथम एमएसओ भवन, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)

3	बेंगलूरू (9001), हुबली (9011), कन्नूर (9202), तिरूवनंतपुरम (9211), एरनाकुलम (9213),	**कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** लक्षद्वीप, कर्नाटक तथा केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरू, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदोर (6006), जबलपुर (6007) सागर (6015), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205)	**मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे)**/ छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कॉम्प्लेक्स, पंडरी रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.gov.in)
5	ईटानगर (5001), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), इंफाल (5501), शिलांग (5401), आईजॉल (5701), दिमापुर (5301), अगरतला (5601)	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.)**/ अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, लास्ट गेट, बेलटोला, वशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6	दिल्ली (2201), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), उदयपुर (2409), सीकर (2411), देहरादून (2002), हलद्वानी (2003), रूड़की (2006)	**उत्तरी क्षेत्र (NR)**/ दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं 12,केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (www.sscnr.nic.in)
7	चंडीगढ़ / मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), संबा (1010), श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर (1007), बठिंडा (1401), अमृतसर (1404), जलंधर (1402), पटियाला (1403), लुधियाना (1405)	**उप क्षेत्रीय पश्चिमोत्तर (पश्चि.क्षे.)**/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चि.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)

8	कुरनूल (8003), तिरूपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), तिरुचिरापल्ली (8206), हैदराबाद (8601), वारंगल (8603)	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग , डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	अहमदाबाद (7001), मुम्बई (7204), नागपुर (7205), पुणे (7208), नासिक (7207), पणजी (7801) वडोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत (7007), मेहसाना (7013), अमरावती (7201), कोल्हापुर (7203), छत्रपति सांभाजी नगर (7202) और जलगांव (7214)	**पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)**/ दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400020 (www.sscwr.net)

10.2 कोई भी अभ्यर्थी प्राथमिकता के क्रम में, तीन केंद्रों (देशभर में कहीं भी) का विकल्प दे सकता है। बाद में, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र को बदलने से संबंधित कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए।

10.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को उपर्युक्त पैरा 10.1 पर दिए गए केंद्रों की सूची के अतिरिक्त परीक्षा के नए केद्र उक्त सूची में जोड़ने या उपरोक्त सूची में से किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र में परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को परीक्षा देने हेतु किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

11. परीक्षा की रूपरेखा:

11.1 इस परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे। इन प्रश्नपत्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

भाग	प्रश्नपत्र की पद्धति	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	अवधि

प्रश्नपत्र-I (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	कंप्यूटर आधारित पद्धति	**भाग-I:** सामान्य हिंदी **भाग-II:** सामान्य अंग्रेजी	100/100 100/100	2 घंटे **(प्रत्येक भाग के लिए 01 घंटे के सेक्शनल टाइमर सहित)** [ऊपर पैरा 6 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट (**प्रत्येक भाग के लिए 01 घंटे 20 मिनट के सेक्शनल टाइमर सहित**), जो प्रलिपिक का उपयोग करने के पात्र हैं]
प्रश्नपत्र-II	वर्णनात्मक	अनुवाद तथा निबंध	200 अंक	2 घंटे (ऊपर पैरा 6 के अनुसार उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट, जो प्रलिपिक का उपयोग करने के पात्र हैं)

11.2 प्रश्नपत्र-। में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे। पेपर-। अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर; पेपर-।। (वर्णनात्मक परीक्षा) में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को श्रेणीवार शार्टलिस्ट किया जाएगा।

11.3 प्रश्नपत्र-। में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें।

11.4 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा अनेक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग द्वारा दिनांक 02.06.2025 की विज्ञप्ति के तहत प्रकाशित प्रक्रिया के प्रयोग से सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का प्रयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

11.5 परीक्षा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के अंदर**, 50/- रु. प्रति प्रश्न,** जोकि अप्रतिदेय है, का भुगतान करके सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से दे सकते है। अन्य माध्यमों, जैसे- पत्र, आवेदन, ई मेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उत्तर-कुंजी अपलोड करने के समय, आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अंदर प्राप्त, उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन को उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले संवीक्षित किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। अंतिम उत्तर-कुंजी का उपयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षाक परिणाम को तैयार करने के लिए किया जाएगा और इसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

11.6 आयोग ने दिनांक 10.04.2026 की विज्ञप्ति के तहत अपनी वेबसाईट पर "चुनौती / आपत्ति प्रबंधन प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश" प्रकाशित किए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें क्योंकि ये इस परीक्षा के लिए लागू होंगे।

11.7 विज्ञप्ति में दी गई परीक्षा की तारीख अनंतिम हैं। परीक्षा के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा।

11.8 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/ पुन: जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया किया जाएगा।

11.9 प्रश्नपत्र-II में, अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर निर्धारित स्थानों पर अपना सही रोल नंबर लिखना चाहिए। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के प्रासंगिक कॉलम में हस्ताक्षर करना चाहिए और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाना चाहिए। जिन उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान नहीं होगा, उनमें शून्य अंक दिया जाएगा।

11.10 अभ्यर्थियों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे उत्तर पुस्तिका (पेपर-II) के अंदर कोई भी व्यक्तिगत पहचान, जैसे- नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पता आदि न लिखें, ऐसा करना अनुचित साधनों (यूएफएम) का प्रयोग माना जाएगा। जो अभ्यर्थी इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अंक दिए जाने के बावजूद शून्य दिया जाएगा।

12. निर्देशात्मक पाठ्यक्रम:

12.1 **प्रश्नपत्र–I (कंप्यूटर आधारित परीक्षा):** इसमें ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी के भाषा और साहित्य की समझ और शब्दों, मुहावरों तथा वाक्यांशों का सही प्रयोग करने, भाषा को सही, ठीक-ठीक तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने में उनकी योग्यता को आंका जा सके। प्रश्न डिग्री स्तर के होंगे।

12.2 **प्रश्नपत्र-II: (अनुवाद और निबंध):** अभ्यर्थी के अनुवाद कौशल और दोनों भाषाओं को सही, ठीक-ठाक एवं प्रभावशाली ढंग से लिखने एवं समझने में उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए, इस प्रश्नपत्र में अनुवाद करने के लिए दो गद्यांश होंगे, जिसमें से एक गद्यांश का हिंदी से अंग्रेजी तथा एक गद्यांश का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा और अंग्रेजी तथा हिंदी में एक-एक निबंध लिखना होगा। प्रश्नपत्र का स्तर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप होगा।

13. परीक्षा में प्रवेश:

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए रोल नम्बर और प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के

अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस के बाद, इसमे सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी किया जाएगा।

13.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए ऑनलाईन आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए अभ्यर्थिता सिर्फ अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानक इत्यादि को ध्यान पूर्वक देख कर स्वयं को संतुष्ट करें कि वे उस पद(पदों) के लिए पात्र हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां मांगकर्ता प्रयोक्ता विभागों/ संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी । परिणाम की घोषणा के बाद उपयोगकर्ता विभागों द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों को निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि आयोग द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपने प्रमाणपत्र / शैक्षणिक योग्यता / जाति / श्रेणी आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षणिक योग्यता / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई दावा प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

13.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर ऑनलाईन जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुना गया परीक्षा केंद्र स्थित है (ब्यौरा पैरा-10.1 पर है), की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग 10 दिन पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक अपना ब्यौरा आयोग की वेबसाइट पर न मिले तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.6 प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश-पत्र की प्रिंट आउट प्रति लेकर आना होगा।

13.7 जिन अभ्यर्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, वे परीक्षा आरंभ होने के समय से दो (02) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करें। प्रवेश प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को कम से कम दो पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो, प्रवेश-पत्र पर छपी जन्म-तिथि के प्रमाण हेतु फोटो लगा मूल वैध पहचान पत्र में अपने साथ लाना होगा, जैसे-

(i) आधार कार्ड/ ई-आधार का प्रिंट आउट,
(ii) मतदाता पहचान पत्र कार्ड,
(iii) ड्राइविंग लाइसेंस,
(iv) पैन कार्ड,
(v) पासपोर्ट,
(vi) विद्यालय/कॉलेज पहचान पत्र कार्ड,
(vii) नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/उपक्रम/निजी) आदि,
(viii) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवानिवृत्ति पंजिका,
(ix) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र।

13.8 अगर फोटो पहचान-पत्र में जन्म-तिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्म-तिथि के प्रमाण से संबन्धित एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र (अर्थात सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रीकुलेशन प्रमाणपत्र, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी संबंधी प्रमाणपत्र) मूल रूप में लाना होगा। प्रवेश-पत्र में अंकित जन्म-तिथि और जन्म-तिथि के प्रमाण के तौर पर लाए गए फोटो प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

13.9 **पैरा-6.1, 6.2 और 6.3** के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा लेने वाले बेंचमार्क दिव्यांग/ दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने साथ जरूरी चिकित्सा प्रमाण-पत्र/ वचन-पत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की प्रति, जैसाकि इसमे निर्दिष्ट किया गया है, भी लाना अनिवार्य होगा। इन दस्तावेज़ों के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.10 परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज़ भी अभ्यर्थी को अपने साथ लाना होगा।

14. <u>दस्तावेज सत्यापन (डी.वी.):</u>

14.1 अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) प्रयोक्ता विभागों/ संगठनों द्वारा किया जाएगा।

14.2 कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार कार्मिकों की भर्ती करता है। आयोग की प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज) के निर्धारण, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है।

14.3 अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होते समय ऊपर पैरा 13.7 में दी गई सूची के अनुसार दो पासपोर्ट आकार के नवीनतम रंगीन फोटो और एक मूल फोटो आईडी प्रमाण लाना होगा।

14.4 अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति तथा साथ ही विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:

(i) मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाणपत्र

(ii) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र

(iii) अनुवाद/ अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।

(iv) जाति / श्रेणी प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं।

(v) निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।

(vi) भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) के लिए :

(क) **अनुबंध-V** के अनुसार कार्यरत रक्षाकर्मी प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।

(ख) **अनुबंध-VI** के अनुसार वचनपत्र।

(ग) सेवा-मुक्ति प्रमाण-पत्र, यदि अभ्यर्थी सशस्त्र सेना से सेवा-मुक्त हुआ हो।

(vii) आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज़।

(viii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सरकारी / सरकारी-उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी के लिए।

(ix) जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी, दूसरी शादी या तलाक के बाद नाम परिवर्तन का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे :

(क) महिला की शादी के मामले में:- पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।

(ख) महिला की दूसरी शादी के मामले में:- तलाकनामा / या पहले पति की अगर मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु प्रमाण-पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम लिखा हुआ हो या विवाह-रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित-प्रति या शपथ-आयुक्त के सामने पति-पत्नी द्वारा लिया गया शपथ संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।

(ग) महिला के तलाक के मामले में:- तलाकनामे की प्रमाणित-प्रति और एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा।

(घ) दूसरी परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के नाम परिवर्तन के लिए:- एक पक्षीय विलेख/ शपथ-आयुक्त के सामने लिया गया शपथ संबंधी हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक अखबारों में प्रकाशित अखबार की मूल कटिंग (एक दैनिक अखबार अभ्यर्थी के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र की होनी चाहिए।) और गज़ट अधिसूचना।

(x) प्रवेश-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए कोई अन्य दस्तावेज़।

14.5 यह पुन: बताया जाता है कि शैक्षणिक योग्यता/ जाति/ श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

15. पद वरीयता:

15.1 **अनंतिम आवंटन के प्रथम चक्र (एफटीआरए)/ परिणाम की घोषणा से पहले, आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प प्रपत्र के जरिए अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए प्राथमिकता ली जाएगी।** किसी पद और मंत्रालय/ विभाग /संगठन के लिए अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने उसके लिए अपनी वरीयता नहीं दर्शाई है। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इन्हें बदला नहीं जाएगा। **इसलिए, अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों को देते समय सावधानी बरतनी चाहिए।**

15.2 **जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (वरीयताएं) प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके लिए अनंतिम आवंटन के प्रथम चक्र (एफटीआरए)/ / परिणाम में किसी भी पद हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता देने का कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।**

15.3 अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने चयन की संभावना में बढ़ोत्तरी के लिए अधिकतम वरीयताएं दें।

15.4 **बीआरओ में पदों के लिए शारीरिक मानक, शारीरिक क्षमता परीक्षण और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाएं अनुबंध- XIII में दी गई हैं। अभ्यर्थियों को बीआरओ में पदों का चयन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों की योग्यता सह वरीयता के अनुसार, एक बार आबंटित पदों को, बाद में इन मानकों को पूरा न करने पर, बदला नहीं जाएगा।**

16. चयन का तरीका:

16.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक निम्न प्रकार हैं:-
(i) अनारक्षित: 30%
(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 25%
(iii) अन्य सभी श्रेणियाँ: 20%

16.2 प्रश्नपत्र-I अर्थात कंप्युटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र-II (वर्णात्मक) में बैठने के लिए श्रेणी-वार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

16.3 पेपर-I एवं पेपर-II में प्रदर्शन के आधार पर, अभ्यर्थियों के नाम पर एफटीआरए/ अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा। अंतिम मेरिट के लिए, पेपर-I के अंकों का 50% और पेपर-II के अंकों का 100% वेटेज होगा। पेपर-I और पेपर-II में अलग-अलग श्रेणीवार कट-ऑफ हो सकते हैं।

16.4 अंतिम चयन / एफआरटीए और संगठन/विभाग/मंत्रालय का आवंटन, पेपर-I एवं पेपर-II में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन तथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गई विभाग (विभागों)/पद (पदों) की वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

16.5 स्लाइडिंग मेकैनिज़्म के तहत एफआरटीए की कार्यप्रणाली को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित दिनांक 03.03.2026 और 08.04.2026 की विज्ञप्ति (विज्ञप्तियों) में स्पष्ट किया गया है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे इसे पढ़ें।

16.6 आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पदों / विभागों की योग्यता-सह-वरीयताओं के आधार पर पदों के लिए एफटीआरए / अंतिम आवंटन तैयार करता है और एक बार पद आवंटित हो जाने के बाद, किसी भी पद की शारीरिक/चिकित्सा/शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं या किसी अन्य अनिवार्यता को पूरा न कर पाने के आधार पर आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी ने एक पद के लिए उच्च वरीयता दी है और उस पद के लिए चुना गया है; तो ऐसे मामलों में, यदि वह चिकित्सा / शारीरिक / शैक्षिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता/ रहती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और अन्य वरीयताओं के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

16.7 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भू.पू.सै. और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट लिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं,उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके श्रेणी के लिए निर्धारित समग्र योग्यता या रिक्तियों में अपनी स्थिति के अनुसार, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, पद में सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों में से समायोजित किया जाएगा । आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव, आकव और बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

16.8 अजा, अजजा, अपिव, आकव और बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, अपेक्षाकृत अधिक छूट आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे उसकी मेरिट स्थिति कुछ भी हो, उसे अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित न करके आरक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। जहां तक भू.पू.सै. के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भू.पू.सै. को उसकी आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार, बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

16.9 बेंचमार्क दिव्यांगजन, जो स्वयं अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता है, को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि संगत श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए वह पद उपयुक्त पाया गया हो।

16.10 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

16.11 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

16.12 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे और परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा।

16.13 नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं अर्थात यह सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले है।

16.14 अंतिम चयन पर अभ्यर्थी को संबन्धित प्रयोक्ता संगठन/ कार्यालय द्वारा कोई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल आवंटित किया जा सकता हैं। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित पद पर संबन्धित प्रयोक्ता संगठन/ कार्यालय द्वारा स्थायी

करने हेतु उस आवंटित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/ अंचल की स्थानीय भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने की जरूरत पड़ सकती हैं।

16.15 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण (उसके द्वारा विकल्प के प्रयोग के अतिरिक्त) से बाद के चरण/ एफआरटीए /अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।

16.16 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता संगठन/ कार्यालय से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग/ संगठन से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

16.17 आयोग की नीति के अनुसार, आयोग द्वारा आयोजित बहुकारक परीक्षाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग प्रतीक्षा सूची/ रिजर्व पैनल नहीं रखता है। तथापि, अधिसूचित रिक्तियों को अधिकतम रूप से भरने के प्रयास में, आयोग ने उपरोक्त पैरा 16.5 में उल्लिखित स्लाइडिंग मेकनिज़्म को लागू किया है।

17. <u>बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा:</u>

उन मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी एक समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

i. प्रश्नपत्र -II में कुल अंक।

ii. जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।

iii. अभ्यर्थियों के नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार।

18. <u>कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:</u>

18.1 आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता/सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के पश्चात व्यापक विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फ़ोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज पुनर्विलोकन/समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है।आयोग की नीति के अनुसार, परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करना और भविष्य की परीक्षाओं से वारित करना शामिल है।

18.2 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति आदि लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	01-02 वर्ष
2	बाहर जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पहले परीक्षा स्थल छोड़ना	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	02-03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	03 वर्ष
5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना/ महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	01-03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन/प्रभाव प्राप्त करना।	03 वर्ष
7	परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस डिवाइस, स्पाई कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना	03-05 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना या परीक्षा देना।	02-05 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	03 वर्ष
10	जानबूझकर परीक्षा से संबंधित अवसंरचनाओं/ उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	01-03 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा में बैठना या परीक्षा देना।	03-05 वर्ष
12	किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र/हथियार रखना या परीक्षा कर्मियों को हथियार/आग्नेयास्त्र से धमकाना/डराना या हमला करना, पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड या आयोग के प्रतिनिधियों आदि जैसे परीक्षा कर्मियों पर किसी भी प्रकार से बल प्रयोग करना, शारीरिक क्षति पहुंचाना।	07 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे -कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	07 वर्ष
14	छद्मवेषण / किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना	07 वर्ष
15	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	07 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लेन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल को साझा करना।	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	07 वर्ष
18	अभ्यर्थी द्वारा उसी परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में कार्य करना या प्रलिपिक के बारे में झूठी घोषणा करना।	03-05 वर्ष
18 क	अभ्यथी / प्रलिपिक द्वारा उसी परीक्षा में 'स्वयं के प्रलिपिक' के रूप में कार्य करना।	03 वर्ष
18 ख	ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रलिपिक की सेवाएं लेना जिसे भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया है।	03 वर्ष

19	परीक्षा के दौरान, यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि प्रलिपिक स्वयं ही उत्तर लिख रहा है या प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष तरीके से अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए इशारा कर रहा है।	07 वर्ष
20	अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग भर्तियों में एक ही फोटोग्राफ के साथ आवेदन करना, जिसमें अलग-अलग व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि आदि शामिल हों, या इसके विपरीत।	01-05 वर्ष
21	अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित छद्मरूपधारी (एसएससी के रिकॉर्ड के अनुसार)।	07 वर्ष
23	आयोग की एक ही परीक्षा में प्रलिपिक द्वारा एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में बैठना अथवा अभ्यर्थी द्वारा एसे प्रलिपिक की सेवा लेना।	05-07 वर्ष
24	परीक्षा के दौरान अन्य अभ्यर्थियों के साथ बातचीत करना/पारस्परिक विचार-विमर्श करना/अन्य अभ्यर्थियों के कंप्यूटर में झांकना।	**01-03 वर्ष**

नोट :- ऊपर उल्लिखित कदाचारों की सूची केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है तथा यह परिपूर्ण नहीं है। आयोग किसी भी अभ्यर्थी विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार रखता है यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे आचरण में लिप्त पाया जाता है जिसे आयोग द्वारा 'कदाचार' माना गया है।

18.3 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

19. **आयोग का निर्णय अंतिम:**

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने व पदों/विभागों के आबंटन, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/ पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.39020/1/2016-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा: (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता/पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (अना/अजा/ अजजा/अपिव/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग/भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल, तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा। तदनुसार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

21. न्यायालय का क्षेत्राधिकार :

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

23. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:

(क)	**अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को अत्यंत ध्यानपूर्वक पढ़ लें । परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**
(ख)	**अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।**
(ग)	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पहले की तरह ही एकबारगी पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर पहले किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा । ओटीआर के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदनपत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं । नई वेबसाइट पर एक बार ओटीआर तैयार होने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा । ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-।।।** में दिए गए हैं।
(घ)	वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया गया है । तदनुसार, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा । वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रमाणीकरण द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे : (i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, (iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश।

	(iv) फोटो । (v) लिंग के प्रमाण **हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।
(ङ)	आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के दौरान मांगकर्ता प्रयोक्ता विभागों / संगठनों द्वारा उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेज मांगे जाएंगे । परिणाम की घोषणा के उपरांत प्रयोक्ता विभागों द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों का पता लगाया जाएगा । अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उन्हें आयोग अथवा मांगकर्ता प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा मांगे जाने पर अपनी शैक्षिक योग्यता / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाणपत्र/ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । शैक्षिक योग्यता / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाणपत्र / दस्तावेज की जांच करने के बाद यदि आवेदन में किया गया कोई दावा सही नहीं पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
(च)	अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बे.दि. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(छ)	**बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता** वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांगजन (दि.) माना जाएगा और वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु मे छूट/ आरक्षण के हकदार होंगे ।
(ज)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त हुआ (सामग्री सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
(झ)	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र) । महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों तथा बेंचमार्क दिव्यांगजन को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।
(ञ)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई है, जिसमें "आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो" की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए । यदि किसी अभ्यर्थी के विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उसे नियमानुसार आयोग की परीक्षाओं से वारित कर दिया जाएगा।
(ट)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मानकों को सही / संशोधित करने के लिए दो दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित सुधार / संशोधन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की विज्ञप्ति के **पैरा-9** में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध

	माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हेतु जमा किए गए पिछले आवेदन (आवेदनों) को रद्द कर दिया जाएगा।
(ठ)	संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है। संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात या 'आवेदनपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ड)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग/ प्रयोक्ता विभाग के किसी भी समय ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(ढ)	आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुन: खींच लें। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जहां उसकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, खारिज कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में उसका फोटो लगा है । अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: 1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें। 2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है। 3. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें। 4. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए। 5. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। 6. अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले/ लघु हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
(ण)	अनुपयुक्त फोटो या धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन, जो निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
(त)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(थ)	आयोग सक्षम प्राधिकारी की विधिवत अनुमति प्राप्त करने के अध्यधीन सत्यापन के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी के आधार डाटा का प्रयोग कर सकता है। परीक्षाओं के दौरान लोगों द्वारा प्रतिरूपित अभ्यर्थी बनने की कोशिश करने

	के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि आवेदन पत्र भरने के दौरान फोटोग्राफ लाइव लिया गया है, इसलिए परीक्षा के दौरान आवेदन पत्र में फोटो की तुलना में अभ्यर्थी की उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं होना **चाहिए। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दिन उनकी उपस्थिति आवेदन पत्र में फोटो के अनुसार हो।** किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने पहले से मौजूद फोटो की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। **ऐसे सभी आवेदन जिनमें उसकी पहले से मौजूद फोटो खींची गई है, खारिज कर दिए जाएंगे।** तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
(द)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य,जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/ विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/उपक्रम), रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भू.सै. सेवामुक्ति पुस्तिका, या केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा 13.7 के अनुसार) लाना चाहिए। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 7 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/ वचनपत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लानी होगी। **तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।**
(ध)	अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प प्रपत्र के जरिए अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए प्राथमिकता ली जाएगी। किसी पद और मंत्रालय/ विभाग /संगठन के लिए अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि उसने उसके लिए अपनी वरीयता नहीं दर्शाई है। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इन्हें बदला नहीं जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों को देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयताएं प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके लिए अंतिम परिणाम में किसी भी पद हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता देने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और वे ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(न)	किसी प्रतिष्ठित नाम / फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन / पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी / साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर / आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(प)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(फ)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/चरण में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर चरण / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।

(ब)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(भ)	**ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को एप्लिकेशन मॉड्यूल का उपयोग करके अपनी फोटो खींचनी होगी और पहले से मौजूद स्वयं की फोटो नहीं रखनी होगी। फोटो बिना टोपी और चश्मे के होनी चाहिए। चेहरे का सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटो नहीं खींची गई है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता खारिज कर दी जाएगी। । तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।**
(म)	आवेदनपत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घोषणा पर सहमत होने / हस्ताक्षर करने से पहले, अभ्यर्थियों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत होना / हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी तथ्य को छिपाने / गलत बयानी करने / गलत घोषणा करने से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(य)	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तारीख, रिक्तियों की स्थिति आदि से संबंधित सूचना के बारे में अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।
(कक)	आवेदन भरने/जमा करने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित क्षेत्रीय हेल्प लाइन से संपर्क कर सकते हैं: (i) हेल्प डेस्क (क.च.आ.-मु.) 1800 309 3063 (टोल फ्री) (ii) क.च.आ. (म.क्षे.), इलाहबाद 0532- 2406000,9452424060 (iii) क.च.आ. (पू.क्षे.), कोलकाता 09477461228, 033 22902230, 9477461229 (iv) क.च.आ. (के.क.क्षे.), बेंगलुरू 080 25502520 (v) क.च.आ. (म.प्र.क्षे.), रायपुर 0771 2960440 (vi) क.च.आ. (उ.पू.क्षे.), गुवाहाटी 9435052556, 9531456804 (vii) क.च.आ. (उ.क्षे.), नई दिल्ली 011 24363343 (viii) क.च.आ. (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), चंडीगढ़ 0172 2744366 (ix) क.च.आ. (द.क्षे.), चेन्नई 09445195946, 044 28251139 (x) क.च.आ. (प.क्षे.), मुंबई +91 7738422705 / 9869730700

अवर सचिव, भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)
दिनांक: 23.04.2026

<u>अनुबंध-I</u>

<u>परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य .... के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा- उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं

मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-Iक

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती ....(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री ...., निवासी ....(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु .... वर्ष, ... (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड _____________(नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और __________ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्साअधिकारी ……… अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:
तारीख:

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं .... (दिव्यांगता का स्वरूप) .... दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका...................... (जिले का नाम) .... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) .... में स्थित ....(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक .... है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

मै सूचित करता/करती हूं कि श्री/ सुश्री/ श्रीमती... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं वचन देता/ देती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता .... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-IIक

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र।

मैं ____________________, __________________ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी, __________________________जिला,................................ (राज्य का नाम) में स्थित ....(केंद्र का नाम),से ____________________________(परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर __________ है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

2. मैं एतदद्वारा व्यक्त करता हूं कि ___________________________ (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतदद्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता ________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

(क) एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर)

(ख) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -क (एक बारगी पंजीकरण) :

1. कृपया ऑनलाइन 'एक-बारगी पंजीकरण प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए **निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें**।
2. **वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है । परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।**
3. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:

   क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

   ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।

   ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध **नहीं है**, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरण में मूल दस्तावेज़ को उपलब्ध कराना होगा ।)

      i. मतदाता पहचान पत्र
      ii. पैन
      iii. पासपोर्ट
      iv. ड्राइविंग लाइसेंस
      v. स्कूल/कॉलेज पहचान पत्र
      vi. नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

   घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

   ङ. दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं।
4. एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) के लिए, http://ssc.gov.in पर दिए गए 'Login or Register' बटन पर क्लिक करें।
5. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

   क. व्यक्तिगत विवरण

   ख. पासवर्ड बनाना

ग.	अतिरिक्त विवरण

घ.	घोषणा।

6. **'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :**

क.	सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात, आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा फील्ड (क्षेत्र) मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दर्शाया/दिया जाएगा।

ख.	**क्रम संख्या- 1: आधार संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें।** यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

(i) **नाम के प्रमाण हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

(ii) **जन्म तिथि के प्रमाण हेतु** नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड,

(iii) **पते के प्रमाण हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश।

(iv) **फोटो।**

(v) **लिंग के प्रमाण हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।

ग.	**क्रम संख्या- 2: अपना** नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

घ.	**क्रम संख्या- 3:** यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख **क्रम संख्या 3क और 3ख** में करें।

ङ.	**क्रम संख्या- 4:** अपना लिंग बताएं (पुरूष/महिला/ट्रांसजेंडर)।

च.	**क्रम संख्या- 5:** अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ.	**क्रम संख्या- 6:** अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज.	**क्रम संख्या- 7:** अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ.	**क्रम संख्या- 8 से क्रम संख्या- 10:** मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. **क्रम संख्या- 11:** शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. **क्रम संख्या- 12:** आपका मोबाइल नंबर। यह **एक सक्रिय मोबाइल नंबर** होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. **क्रम संख्या- 13:** आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेलआईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सेव हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. **आपको 14 दिनों के भीतर** पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत संख्या को **उपयोगकर्ता नाम** और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड **पासवर्ड** का उपयोग करके लॉगइन करें।

पासवर्ड बनाना

त. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

थ. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

द. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

अतिरिक्त विवरण

ध. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

न. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

प. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें । आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

ब. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई बैंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

भ. क्रम संख्या- 6-7: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

म. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट प्रीव्यू का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

य. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी को निर्धारित फील्ड में डालना होगा।

र. ‘Declaration’ को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो ‘I Agree’ पर क्लिक करें।

ल. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया **14 दिनों के भीतर** पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

7. यद्यपि **आप** अपने एक बारगी पंजीकरण विवरण को संपादित/ संशोधित कर सकते हैं तथापि आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए । गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है ।

8. **आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**

अनुबंध IIIक

एकबारगी पंजीकरण के नमूने

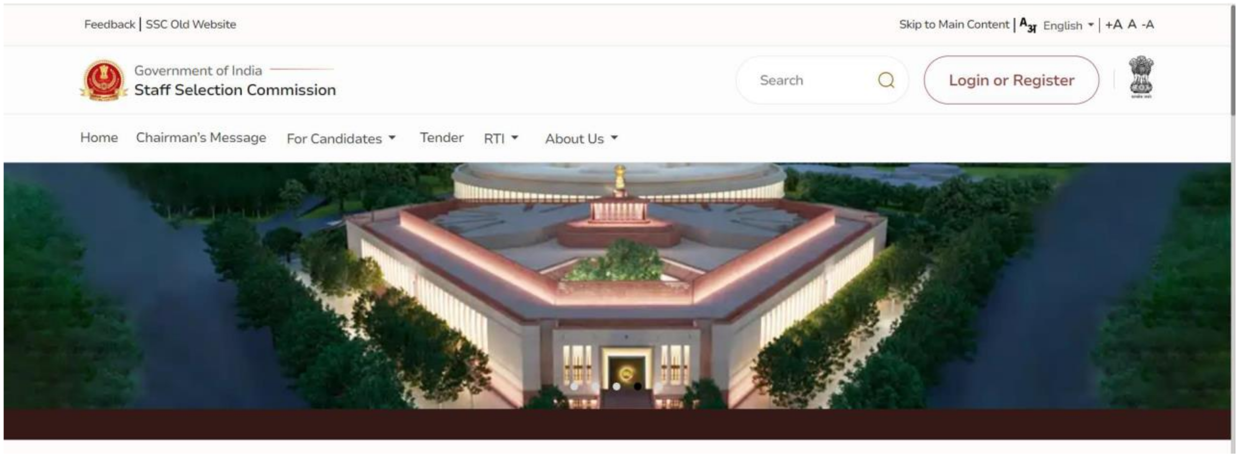

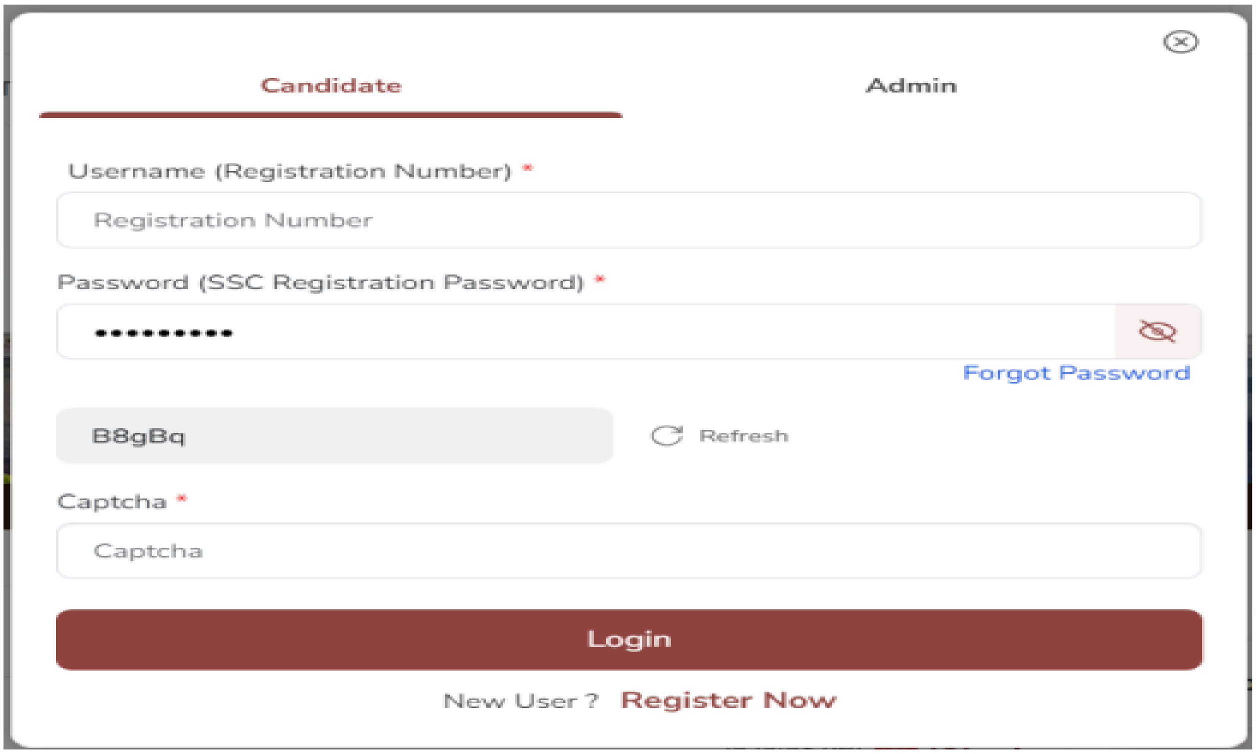

एक बारगी पंजीकरण का प्रवाह

पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 'Login or Register' पर क्लिक करें।

'Login or Register' पर क्लिक करने के पश्चात, एक छोटा विंडो दिखाई देगा। इस विंडो में, नीचे 'Register Now' पर क्लिक करें। उसके पश्चात आप 'One-Time Registration' पृष्ठ पर जा सकेंगे।

एक बारगी पंजीकरण पृष्ठ :

होम पृष्ठ पर आपको एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र भरने के लिए उपलब्ध चरणों का अनुसरण करना होगा। आगे बढ़ने के लिए 'Continue' पर क्लिक करें और व्यक्तिगत विवरण स्क्रीन पर पहुंचे।

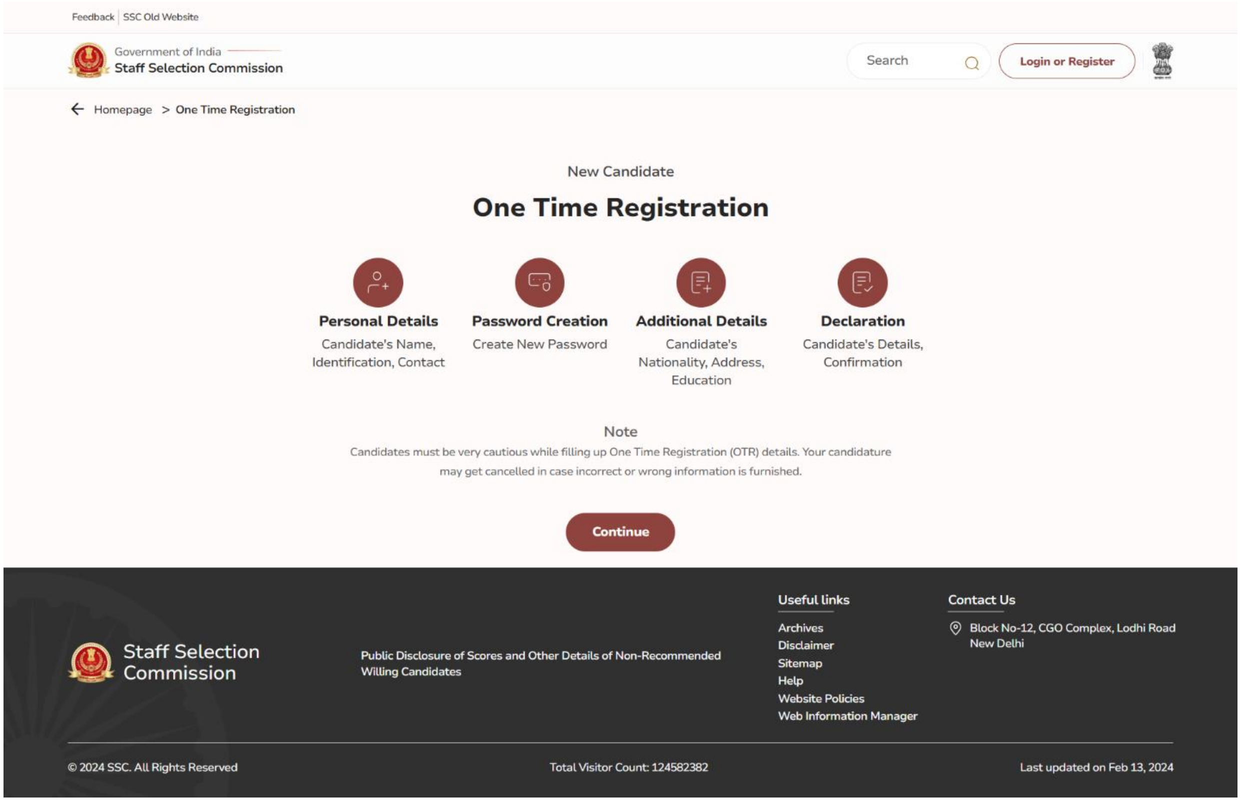

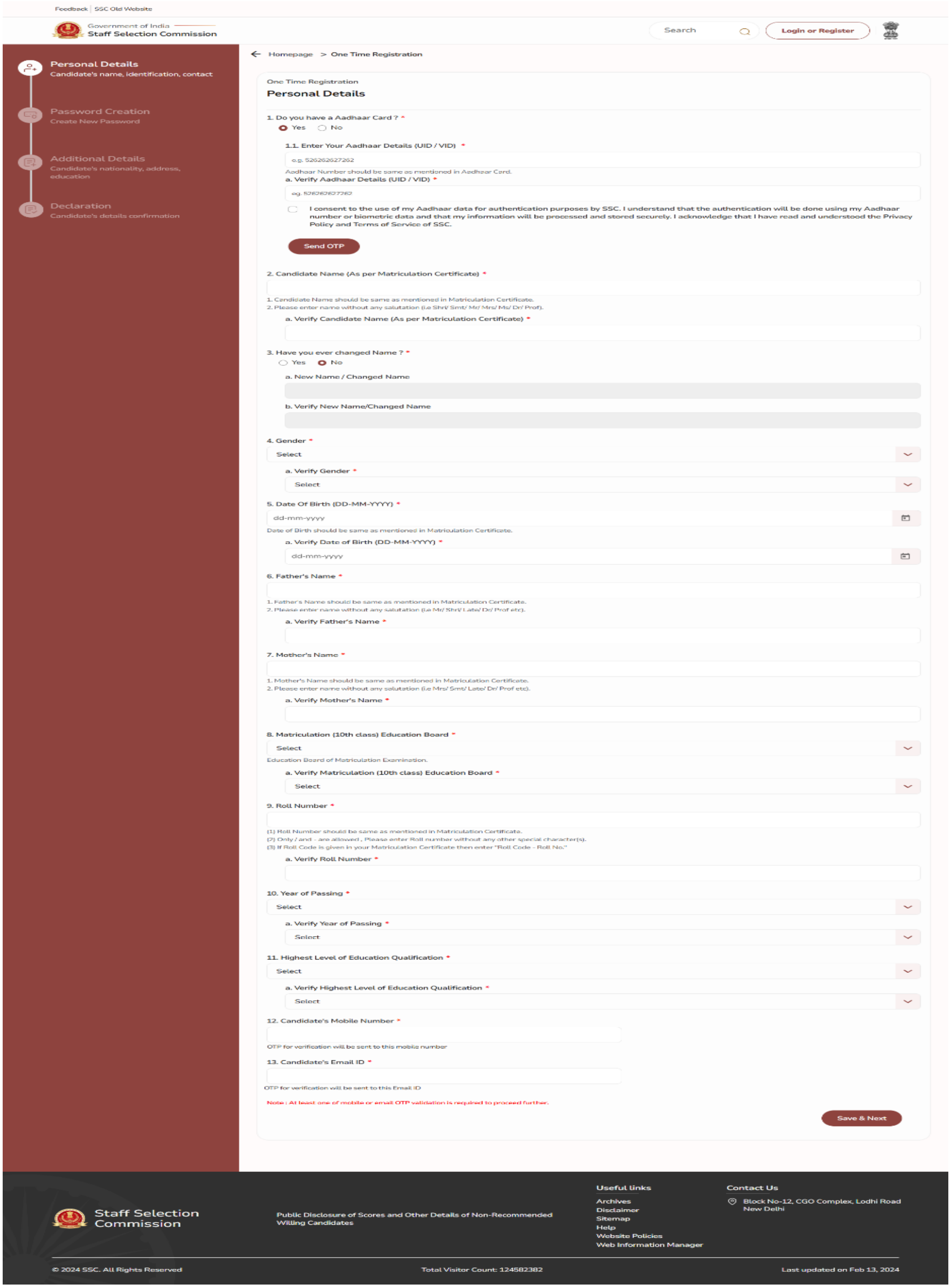

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *
e.g. 526262627262
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card.
a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *
eg. 526262627262

I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *
1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).
a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No
a. New Name / Changed Name
b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select
a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).
a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.
a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *
(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."
a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select
a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select
a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *
OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *
OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

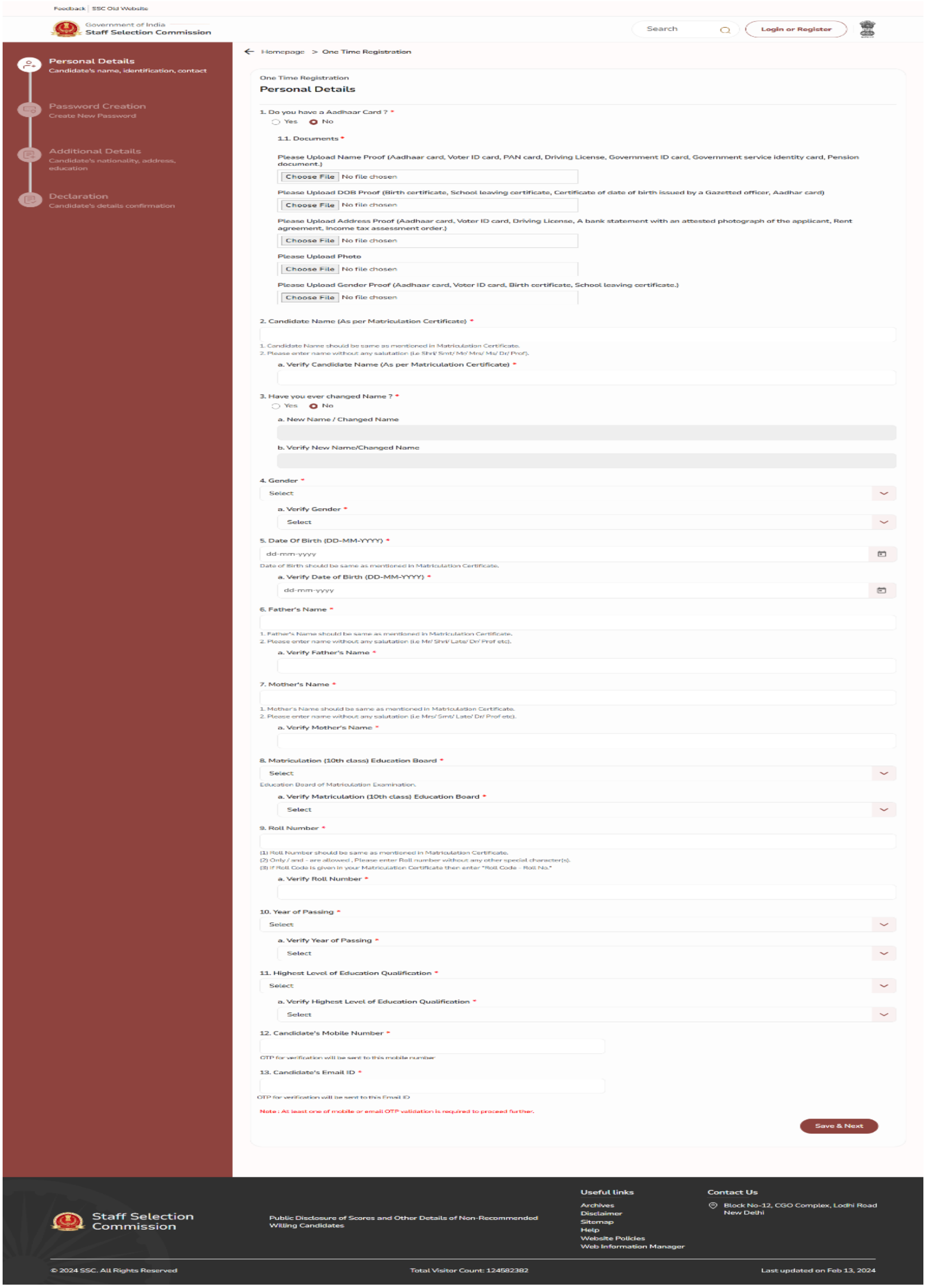

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
Yes No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)
Choose File No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)
Choose File No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)
Choose File No file chosen

Please Upload Photo
Choose File No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)
Choose File No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
Yes No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

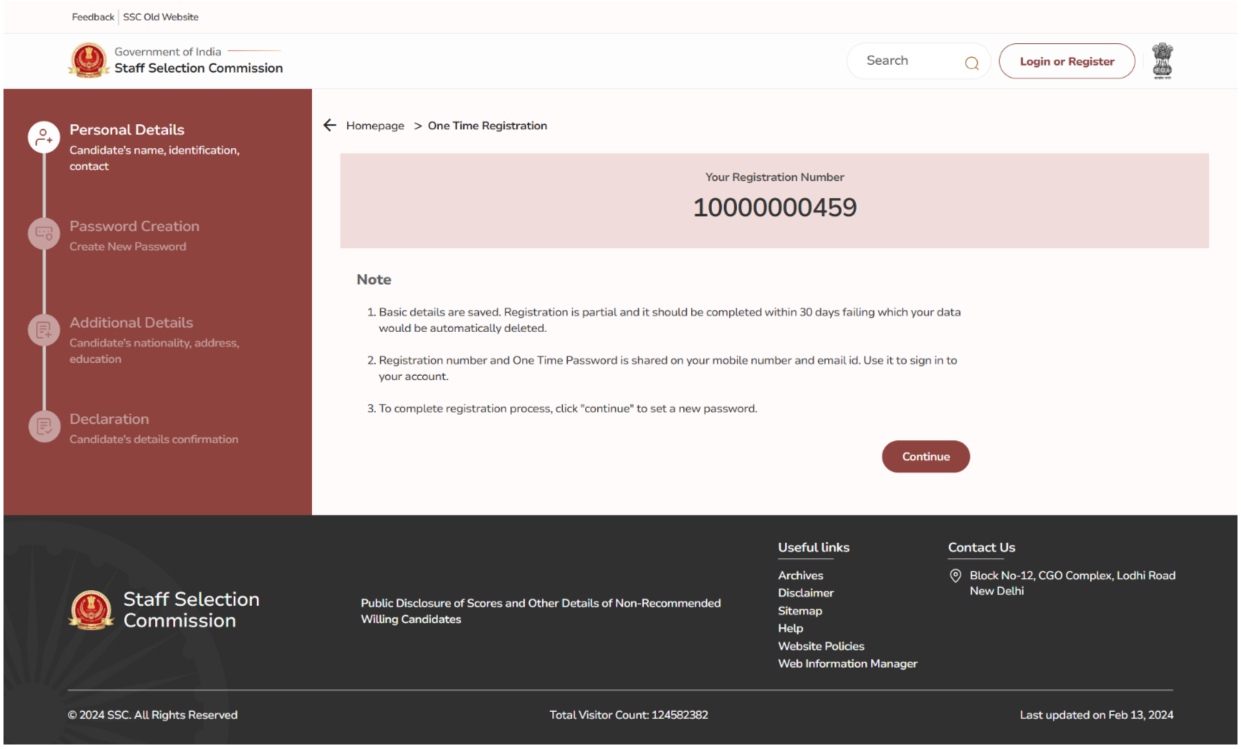
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Your Registration Number
10000000459
Note
1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *

EWS

a. Verify Category *

EWS

2. Nationality *

Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *

MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *

○ Yes ● No

a. Type of Disability

Note

VH : Blindness and Low vision

HH : Deaf and hard of hearing

OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy

Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *

Select

c. District *

Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *

○ Yes ● No

a. Address *

b. State/UT *

Select

c. District *

Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

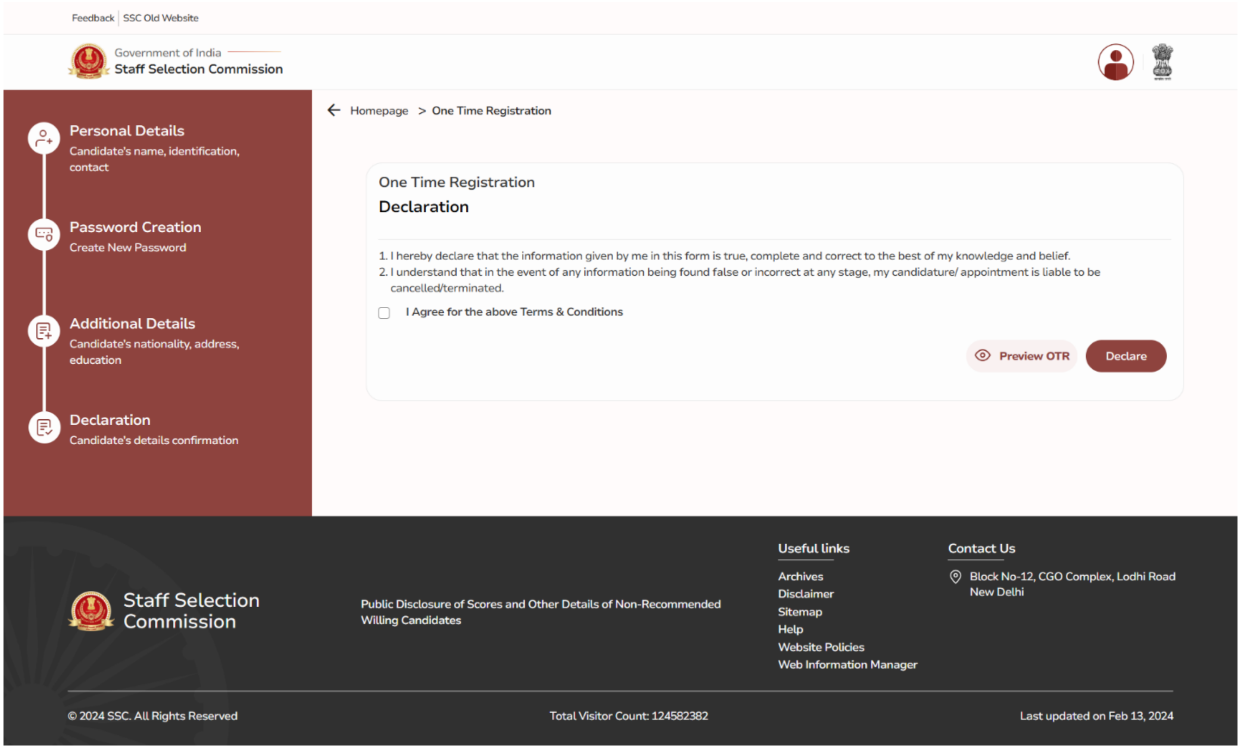
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
One Time Registration
Declaration
1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.
I Agree for the above Terms & Conditions
Preview OTR
Declare
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

अनुबंध-IV

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र(

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

ऑनलाईन आवेदन /पत्र में अभ्यर्थियों को वेबकैम-मोबाईल डिवाइस के माध्यम से अपना लाइव फोटो खींचना तथा अपलोड करना होगा। लाइव फोटो खींचने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है-:

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।

(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।

(iii) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे देखें।

(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित सीमांकित क्षेत्र के भीतर पूरी तरह समाहित हो और यह न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।

(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नजर का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी वेबकैम/मोबाईल डिवाइस के माध्यम से अपना लाइव फोटोग्राफ खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मोबाईल डिवाइस के माध्यम से अपनी लाइव फोटो खींचने हेतु प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने के लिए Upload Documents के क्रम सं. 2 में दिए गए क्यूआर (QR) कोड का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। खराब गुणवत्ता, लघु एवं धुंधली फोटो/ तिरछे दृश्यमान फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

जेपीईजीजेपीजी/ फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर)10 से (केबी 20। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4. सेमी 0 (चौड़ाई)X 2.0 सेमी होना चाहिए। (ऊंचाई)धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। दिव्यांग (.दि.दृ)अभ्यर्थियों के लिए अंगूठे के निशान की भी अनुमति दी गई है।

2. अपनी"**"पंजीकरण संख्या" और "पासवर्ड"** के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. "Live Exam" टैब के अंतर्गत खंड "Combined Hindi Translators Examination, 2026" में **'Apply'** लिंक पर क्लिक करें।

4. **क्रम संख्या 1 से 18:** इन कॉलमों में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एक बारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि आप इस डाटा में कोई सुधार करना चाहते हैं तो 'Candidate Dashboard' के दाहिनें शीर्ष कोने पर दिए गए "Edit Registration Details**"** बटन पर क्लिक करें और अपने एक बारगी पंजीकरण डाटा को यथोचित रूप से संपादित करें।

5. **क्रम संख्या-19:** कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।

6. **क्रम संख्या-20.1 से 21.10 :** कृपया अपनी "अर्हक" शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें (कृपया विज्ञप्ति के पैरा 7 का संदर्भ लें)।

7. **क्रम संख्या-22:** यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेना में कार्यरत है, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' विकल्प चुनना चाहिए।

8. **क्रम संख्या- 22.1:** यदि आपने क्रम संख्या 22 में 'Yes' का चयन किया है तो कृपया सशस्त्र बल में नियुक्ति की तारीख दर्ज करें।

9. **क्रम संख्या- 22.2:** कृपया सशस्त्र बल से कार्यमुक्ति की तारीख/ कार्यमुक्ति की संभावित तारीख दर्ज करें।

10. **क्रम संख्या- 22.3: क्रम संख्या 22.1 और 22.2 में** भरे गए डाटा के आधार पर सेवा की अवधि स्वतः (auto populated) भर जाएगी।

11. **क्रम संख्या- 22.4:** कृपया विकल्प चुनें कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) हेतु दिए गए आरक्षण का लाभ उठाकर पहले से ही सिविल पद पर कार्यरत हैं। जानकारी के लिए कृपया विज्ञप्ति के **पैरा संख्या 4.2** को देखें।

12. **क्रम संख्या- 22.5:** कृपया सिविल पद पर नियुक्ति की तारीख दर्ज करें।

13. **क्रम संख्या- 23:** यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो कृपया 'YES' का चयन करें।

14. **क्रम संख्या- 23.1:** यदि क्रम संख्या 23 में 'Yes' का चयन किया गया है तो कृपया आयु-छूट कोड दर्ज करें। (कृपया विज्ञप्ति के **पैरा** 4.2 को देखें)

15. **क्रम संख्या- 24:** कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा सं. 20 देखें और तदनुसार भरें।

16. **क्रम संख्या- 25:** परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप देशभर में कहीं भी तीन परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए। (कृपया विज्ञप्ति का पैरा संख्या 10 देखें)।

17. **क्रम संख्या-26.1:** सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता (दृ.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। यह विकल्प केवल उन बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा जिन्होंने ओटीआर के विवरण के अनुसार अपनी श्रेणी की स्थिति पीडब्ल्यूबीडी चयन की है। संबंधित प्रमाणपत्र भी अपलोड करें।

18. **क्रम संख्या-26.2:** सूचना प्रदान करें कि आप प्रमस्तिष्क पक्षाघात (प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन – अ.दि. और बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 26.2 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/ प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा **6.1** का संदर्भ लें।

19. **क्रम संख्या-26.3:** परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 6.2 अथवा 6.3 के अनुसार यदि आप शारीरिक रूप से लिखने में सक्षम नहीं है और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो चयन करें। यह विकल्प उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो या तो बेंचमार्क दिव्यांजन – दृ.दि. अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 26.1 या 26.2 में 'Yes' का चयन किया हो। यह विकल्प सभी अन्य बेंचमार्क दिव्यांजन तथा गैर-बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 26.3 में 'Yes' का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-I

के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बेंचमार्क दिव्यांजन से भिन्न अभ्यर्थी (अर्थात 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले) जिन्होंने क्रम सं. 26.3 में 'Yes' का चयन किया है, प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-Iक के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति का **पैरा-6.2 और 6.3** देखें।

20. **क्रम संख्या-26.4:** यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-6 के अनुसार प्रलिपिक/सहायक तकनीक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें। ये विकल्प केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा जिन्होंने **क्रम सं. 26.1 अथवा 26.2 या 26.3** में 'Yes' का चयन किया हो।

21. **क्रम संख्या-27:** परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7 के अनुसार अनुवाद में प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम से संबंधित उपयुक्त/ संगत विकल्प चुनें।

22. **क्रम संख्या- 28:** परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7 के अनुसार अनुवाद कार्य में प्रासंगिक अनुभव से संबंधित उपयुक्त/ संगत विकल्प चुनें।

23. उपर्युक्त क्रम सं. 1 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपनी फोटो खींचे। धुंधली फोटो वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।

24. उपर्युक्त **क्रम सं. 1** के अनुसार निर्दिष्ट अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

25. आवेदन का पूर्वावलोकन करते समय, कृपया जांच करें कि आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण सही हैं एवं उल्लिखित विज्ञप्ति में विभिन्न स्थानों पर फोटो / हस्ताक्षर से संबंधित दिए निर्देशों का विधिवत पालन हो रहा है।

26. "I Agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें। पूर्वावलोकन में प्रदर्शित आपके आवेदन में भरे गए डाटा की शुद्धता का सत्यापन होने पर 'Submit Application' के साथ आगे बढ़ें।

27. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

28. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा,मास्टर कार्ड,मैस्ट्रो या रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है।

29. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 8 का संदर्भ लें।

30. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना/रखना चाहिए।

आवेदन के नमूने – संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2026

1. निर्देश :

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Application Form

Combined Hindi Translators Examination, 2025

Instructions to follow

- Read the notice of examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the application form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his /her signature in JPEG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with blurred/miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, MasterCard, Maestro, or RuPay, Debit card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

Fill Form >

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124584183

Last updated on May 15, 2024

2. व्यक्तिगत विवरण:

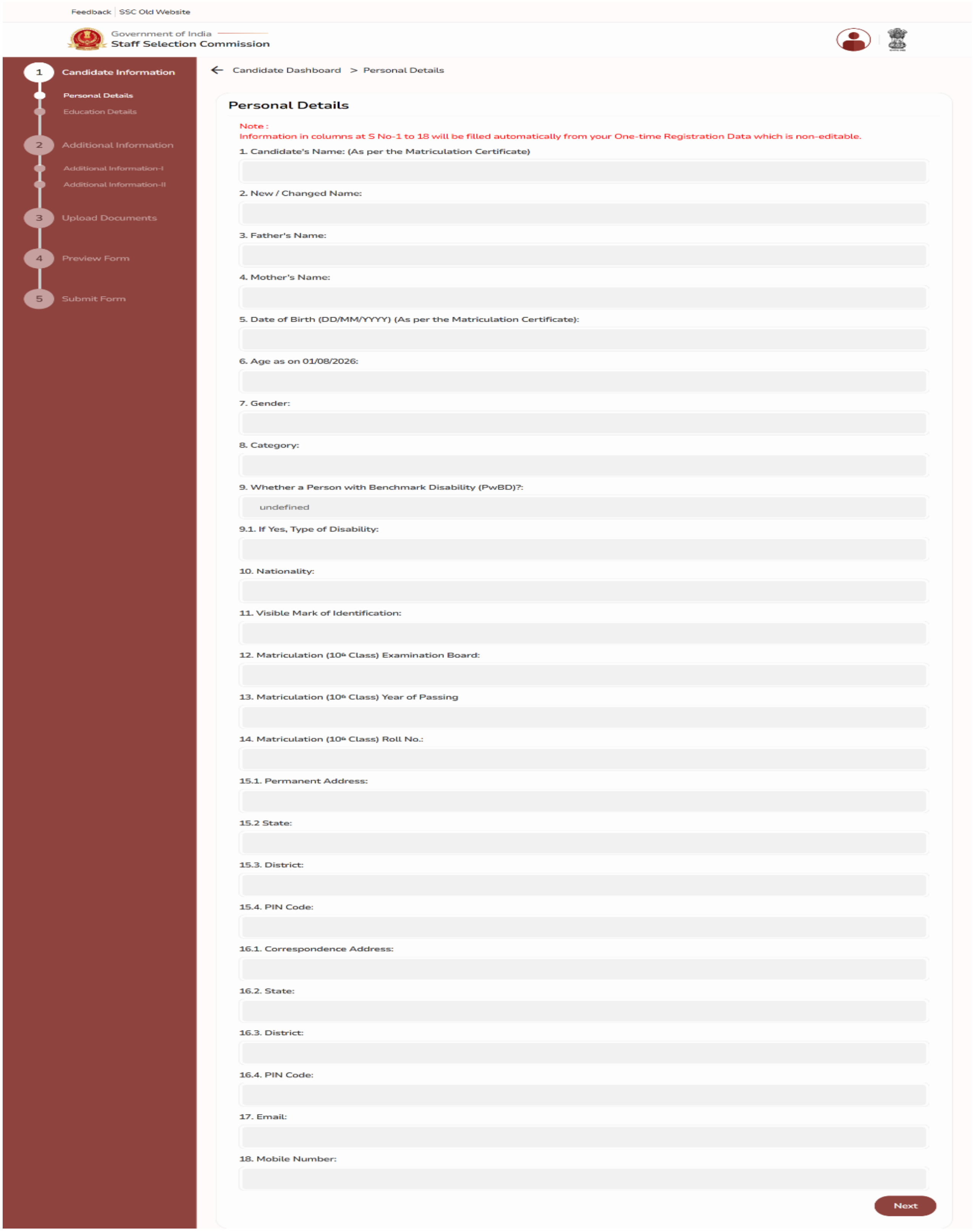

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note :
Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)
2. New / Changed Name:
3. Father's Name:
4. Mother's Name:
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):
6. Age as on 01/08/2026:
7. Gender:
8. Category:
9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:
   undefined
9.1. If Yes, Type of Disability:
10. Nationality:
11. Visible Mark of Identification:
12. Matriculation (10th Class) Examination Board:
13. Matriculation (10th Class) Year of Passing
14. Matriculation (10th Class) Roll No.:
15.1. Permanent Address:
15.2 State:
15.3. District:
15.4. PIN Code:
16.1. Correspondence Address:
16.2. State:
16.3. District:
16.4. PIN Code:
17. Email:
18. Mobile Number:

Next

3. शैक्षिक विवरण:

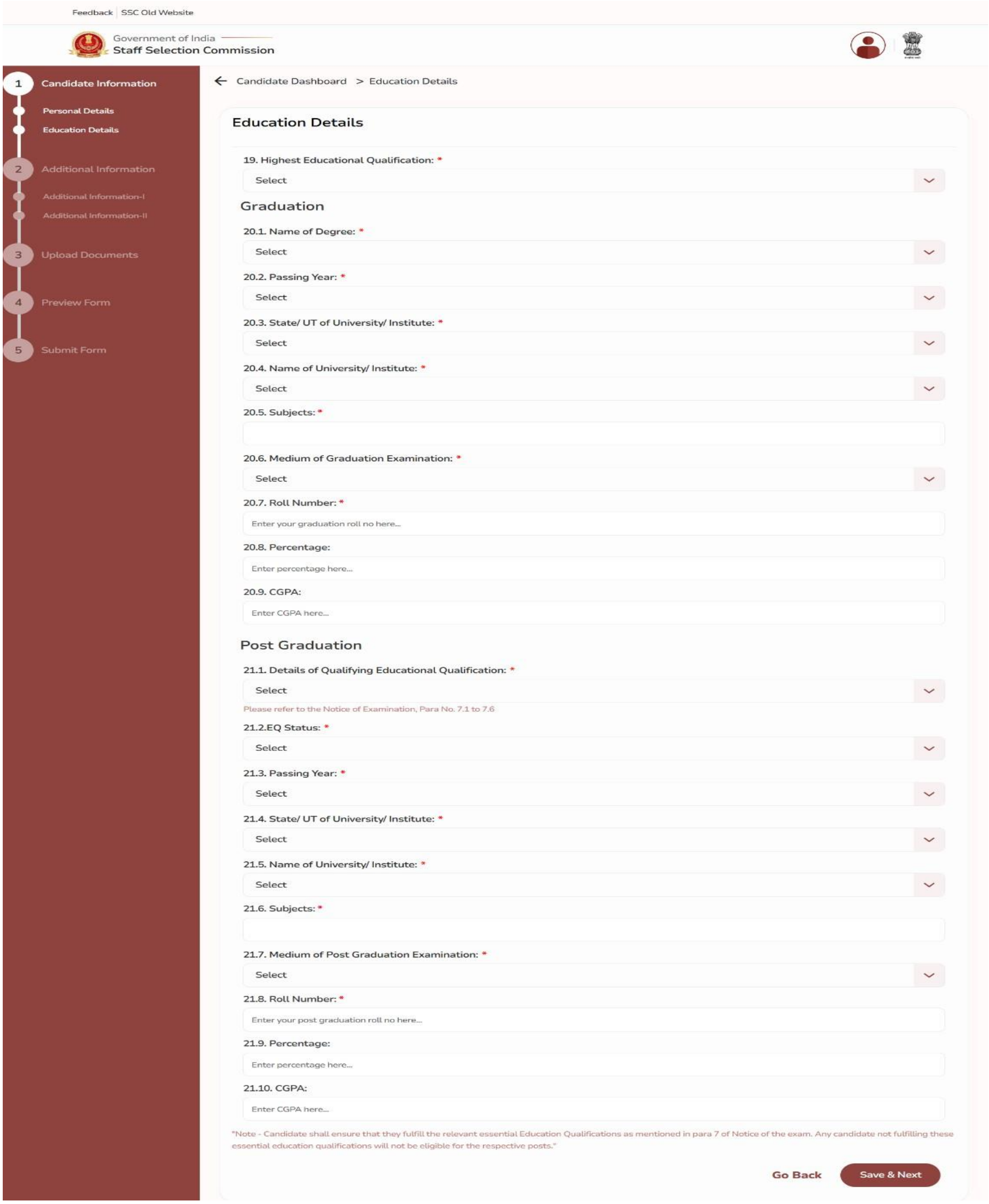

Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form
Candidate Dashboard > Education Details
Education Details
19. Highest Educational Qualification: *
Select
Graduation
20.1. Name of Degree: *
Select
20.2. Passing Year: *
Select
20.3. State/ UT of University/ Institute: *
Select
20.4. Name of University/ Institute: *
Select
20.5. Subjects: *
20.6. Medium of Graduation Examination: *
Select
20.7. Roll Number: *
Enter your graduation roll no here...
20.8. Percentage:
Enter percentage here...
20.9. CGPA:
Enter CGPA here...
Post Graduation
21.1. Details of Qualifying Educational Qualification: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.1 to 7.6
21.2.EQ Status: *
Select
21.3. Passing Year: *
Select
21.4. State/ UT of University/ Institute: *
Select
21.5. Name of University/ Institute: *
Select
21.6. Subjects: *
21.7. Medium of Post Graduation Examination: *
Select
21.8. Roll Number: *
Enter your post graduation roll no here...
21.9. Percentage:
Enter percentage here...
21.10. CGPA:
Enter CGPA here...
"Note - Candidate shall ensure that they fulfill the relevant essential Education Qualifications as mentioned in para 7 of Notice of the exam. Any candidate not fulfilling these essential education qualifications will not be eligible for the respective posts."
Go Back
Save & Next

4. अतिरिक्त विवरण-I:

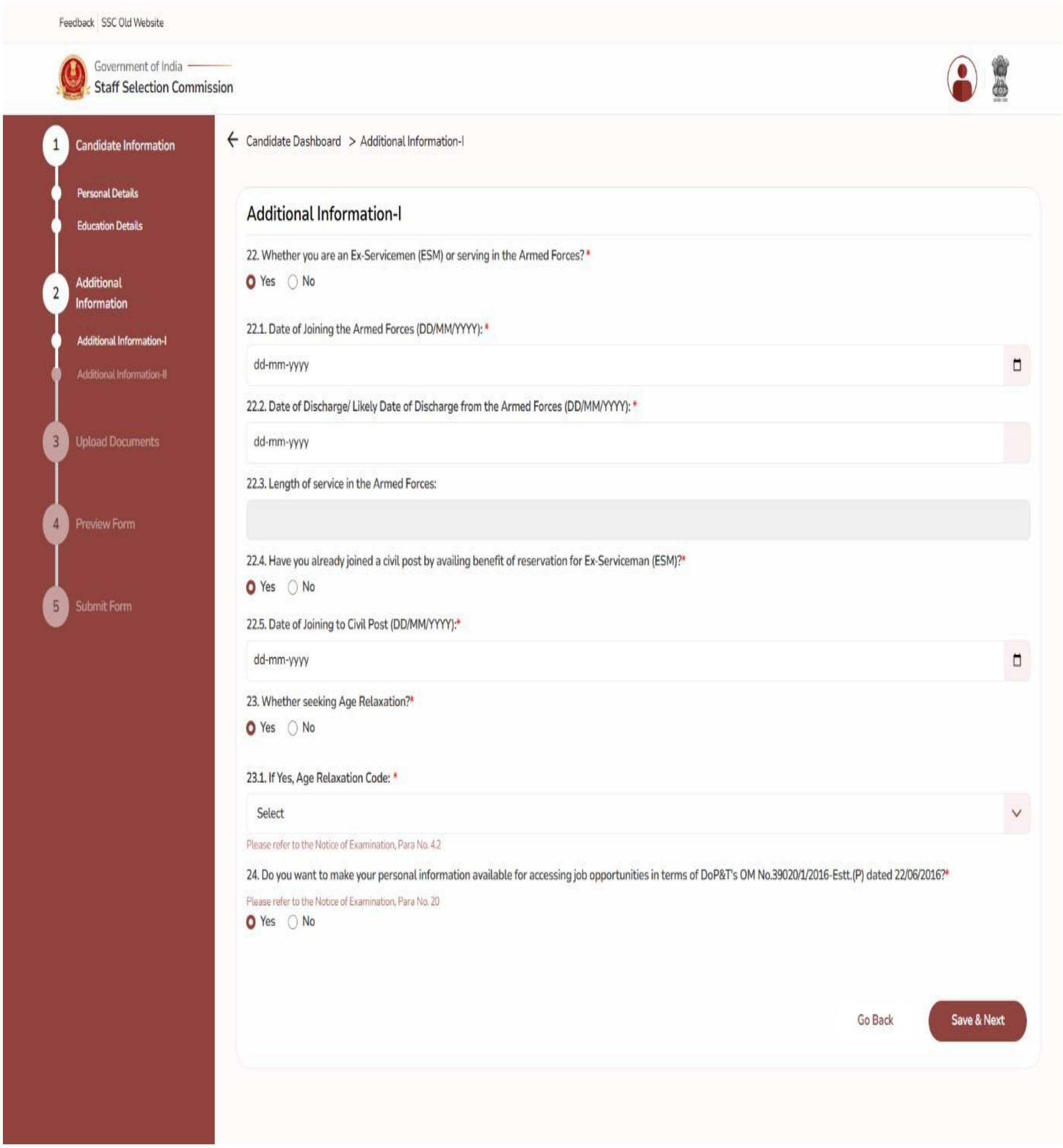

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

22. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *
Yes No

22.1. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *
dd-mm-yyyy

22.2. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *
dd-mm-yyyy

22.3. Length of service in the Armed Forces:

22.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM)?*
Yes No

22.5. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):*
dd-mm-yyyy

23. Whether seeking Age Relaxation?*
Yes No

23.1. If Yes, Age Relaxation Code: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 4.2

24. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 22/06/2016?*
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 20
Yes No

Go Back | Save & Next

5. अतिरिक्त विवरण-II:

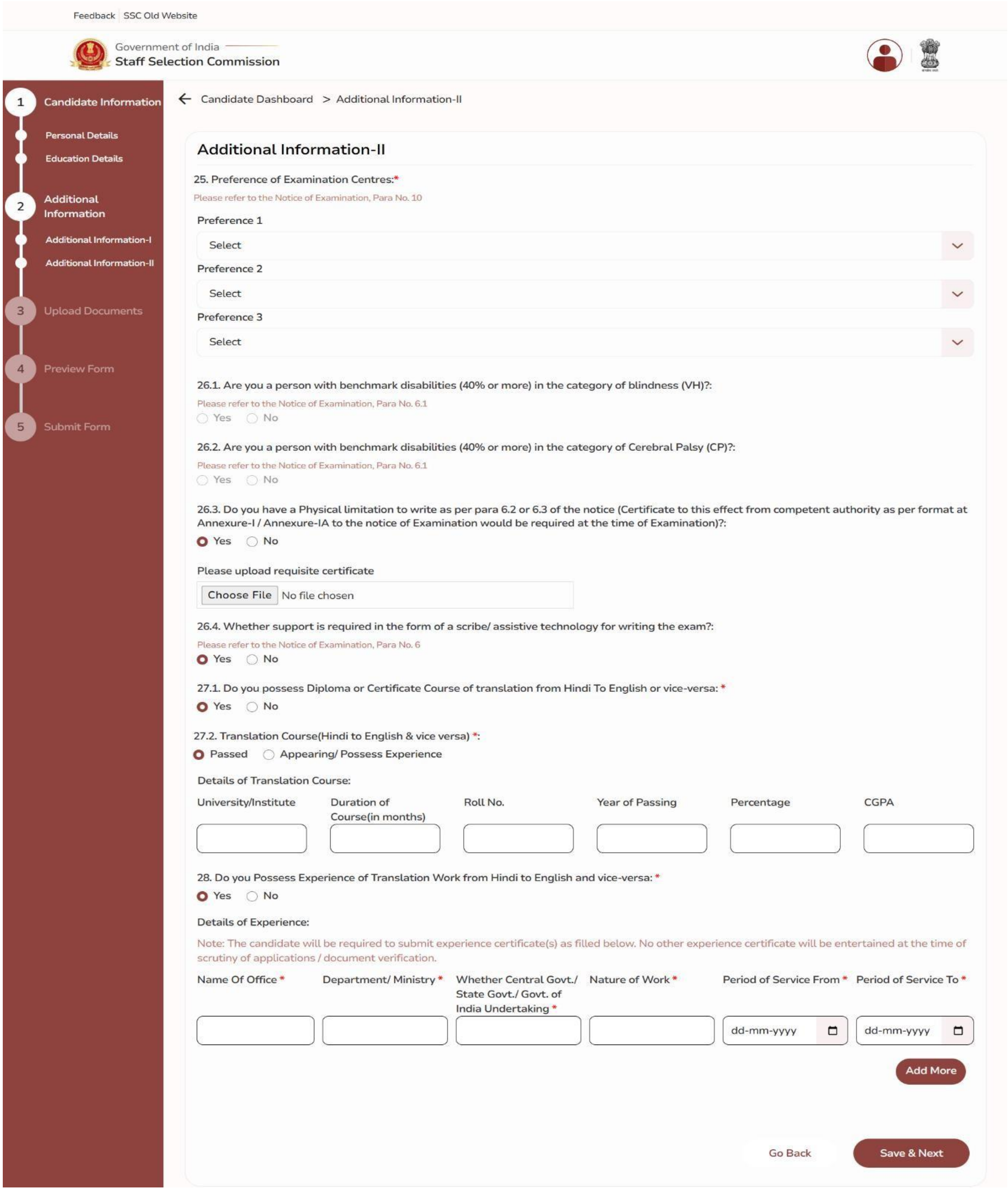

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

25. Preference of Examination Centres:*
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 10

Preference 1
Select

Preference 2
Select

Preference 3
Select

26.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?:
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.1
Yes No

26.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Cerebral Palsy (CP)?:
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.1
Yes No

26.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 6.2 or 6.3 of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I / Annexure-IA to the notice of Examination would be required at the time of Examination)?:
Yes No

Please upload requisite certificate
Choose File No file chosen

26.4. Whether support is required in the form of a scribe/ assistive technology for writing the exam?:
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6
Yes No

27.1. Do you possess Diploma or Certificate Course of translation from Hindi To English or vice-versa: *
Yes No

27.2. Translation Course(Hindi to English & vice versa) *:
Passed Appearing/ Possess Experience

Details of Translation Course:

University/Institute	Duration of Course(in months)	Roll No.	Year of Passing	Percentage	CGPA

28. Do you Possess Experience of Translation Work from Hindi to English and vice-versa: *
Yes No

Details of Experience:

Note: The candidate will be required to submit experience certificate(s) as filled below. No other experience certificate will be entertained at the time of scrutiny of applications / document verification.

Name Of Office *	Department/ Ministry *	Whether Central Govt./ State Govt./ Govt. of India Undertaking *	Nature of Work *	Period of Service From *	Period of Service To *
				dd-mm-yyyy	dd-mm-yyyy

Add More

Go Back | Save & Next

6. हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करना:

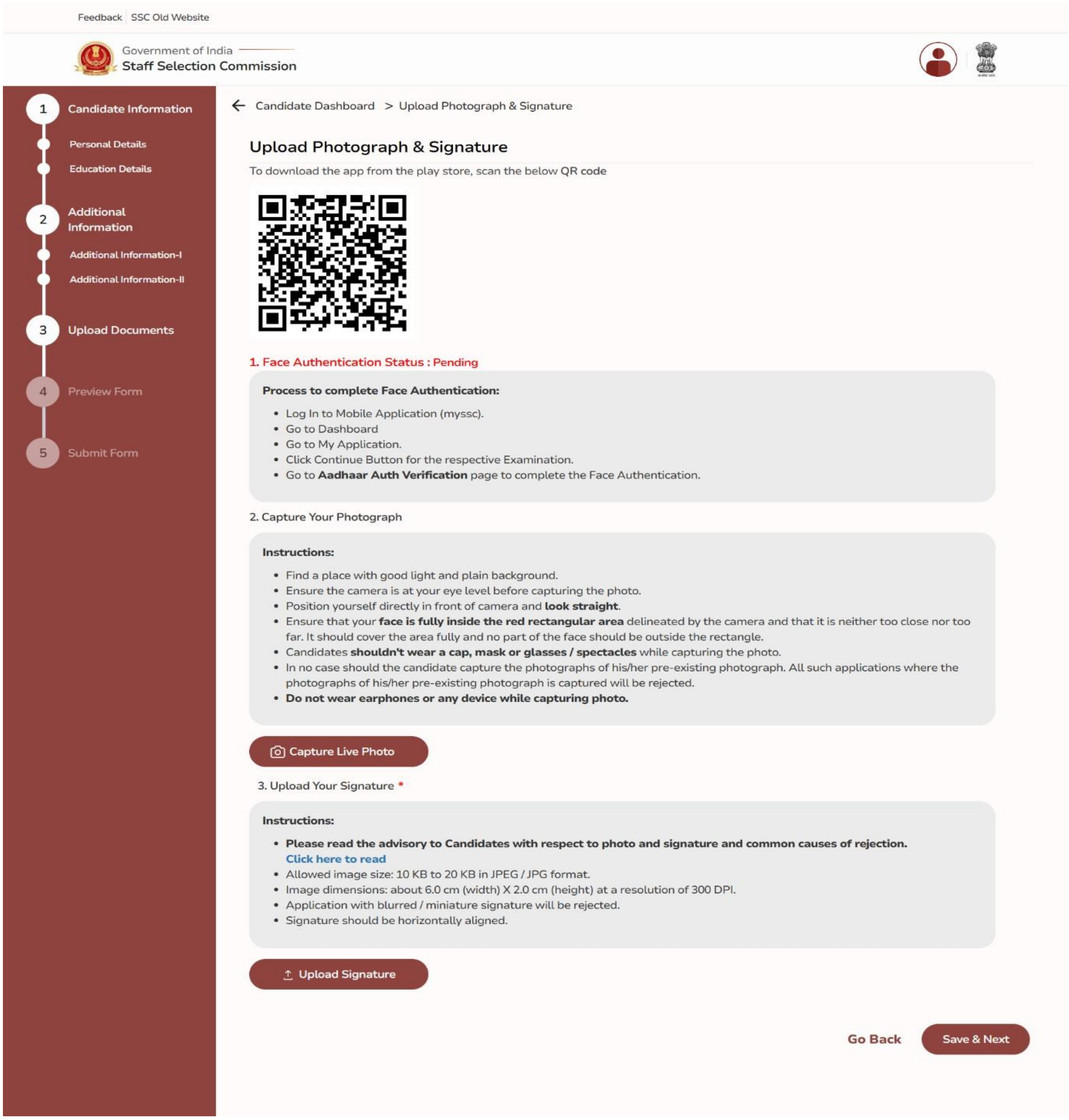

7. प्रपत्र पूर्वावलोकन :

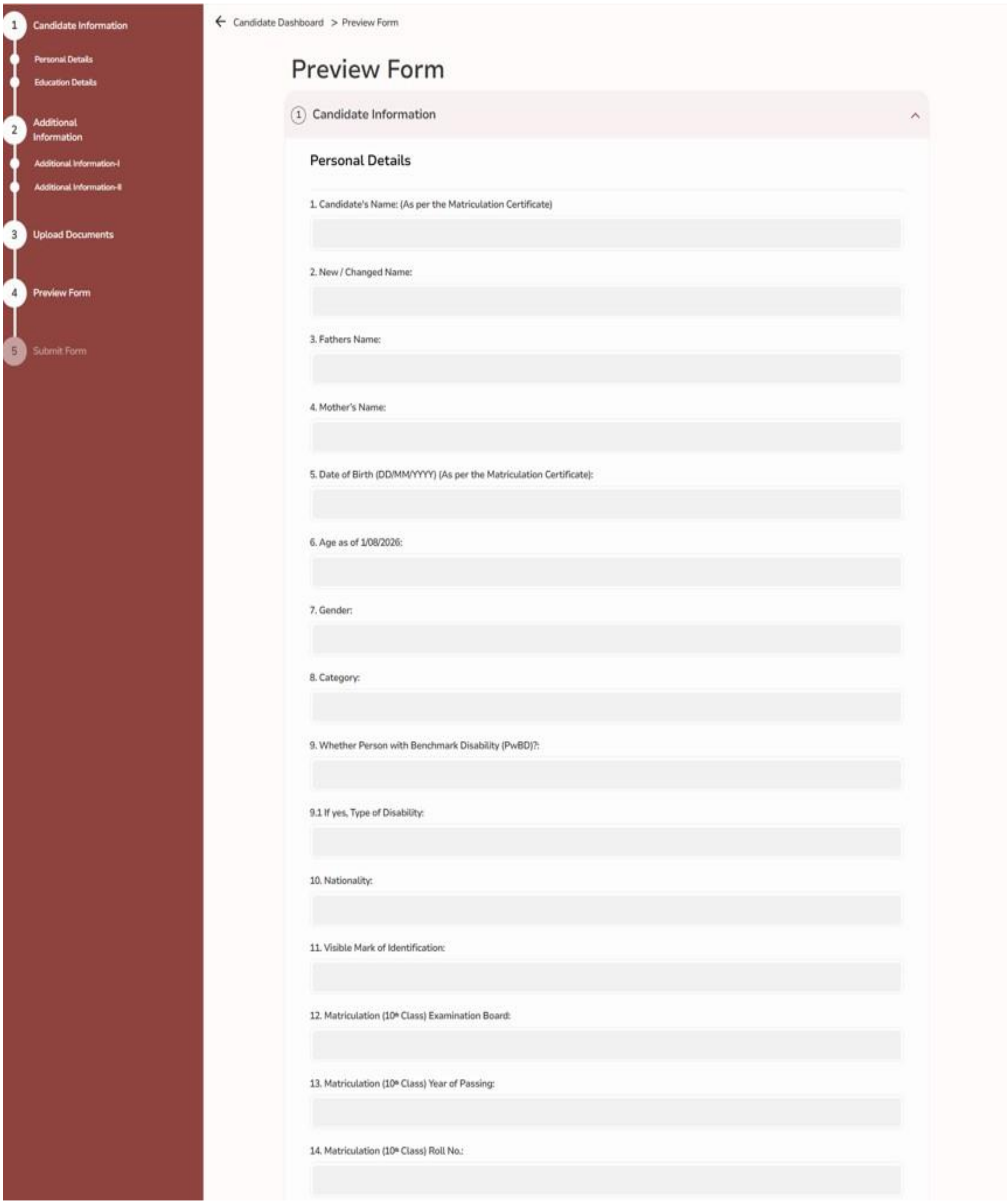

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Candidate Dashboard > Preview Form

Preview Form

(1) Candidate Information

Personal Details

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Fathers Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as of 1/08/2026:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

9.1 If yes, Type of Disability:

10. Nationality:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing:

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3 District:

15.4 PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3 District:

16.4 PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Educational Details

Edit

19. Highest Educational Qualification:

Graduation

20.1 Name of Degree:

20.2. Passing Year:

20.3.State/ UT of University/ Institute:

20.4. Name of University/ Institute:

20.5. Subjects:

20.6. Medium of Graduation Examination:

20.7. Roll Number:

20.8. Percentage:

20.9. CGPA:

Post Graduation

21.1 Details of Qualifying Educational Qualification:

21.2. EQ Status:

21.3. Passing Year:

21.4. State/ UT of University/ Institute:

21.5. Name of University/ Institute:

21.6. Subjects:

21.7. Medium of Post Graduation Examination:

21.8. Roll Number:

21.9. Percentage:

21.10. CGPA:

(2) Additional Details

Additional Information-I

Edit

22. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces?:

22.1. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

22.2. Date of Discharge / Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

22.3. Length of service in the Armed Forces:

22.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM)?:

22.5 Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

23. Whether seeking Age Relaxation?:

23.1. If Yes, Age Relaxation Code:

24. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM No. 39020 / 1 / 2016-Estt.(P) dated 21/06/2016?:

Additional Information-II

Edit

25. Preference of Examination Centres:

25.1. Preference 1:

25.2. Preference 2:

25.3. Preference 3:

26.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?:

26.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Cerebral Palsy (CP)?:

26.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 7.2 or 7.3 of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I / Annexure-IA to the notice of Examination would be required at the time of Examination)?:

26.4. Whether support is required in the form of a scribe/ assistive technology for writing the exam?:

27.1. Do you possess Diploma or Certificate Course of translation from Hindi To English or vice-versa:

27.2. Translation Course(Hindi to English & vice versa):

University/Institute	Duration of Course	Roll No.	Year of Passing	Percentage	CGPA

28. Do you Possess Experience of Translation Work from Hindi to English and vice-versa:

(3) Uploaded Documents:

Photo	Signature
photo	signature

8. घोषणा :

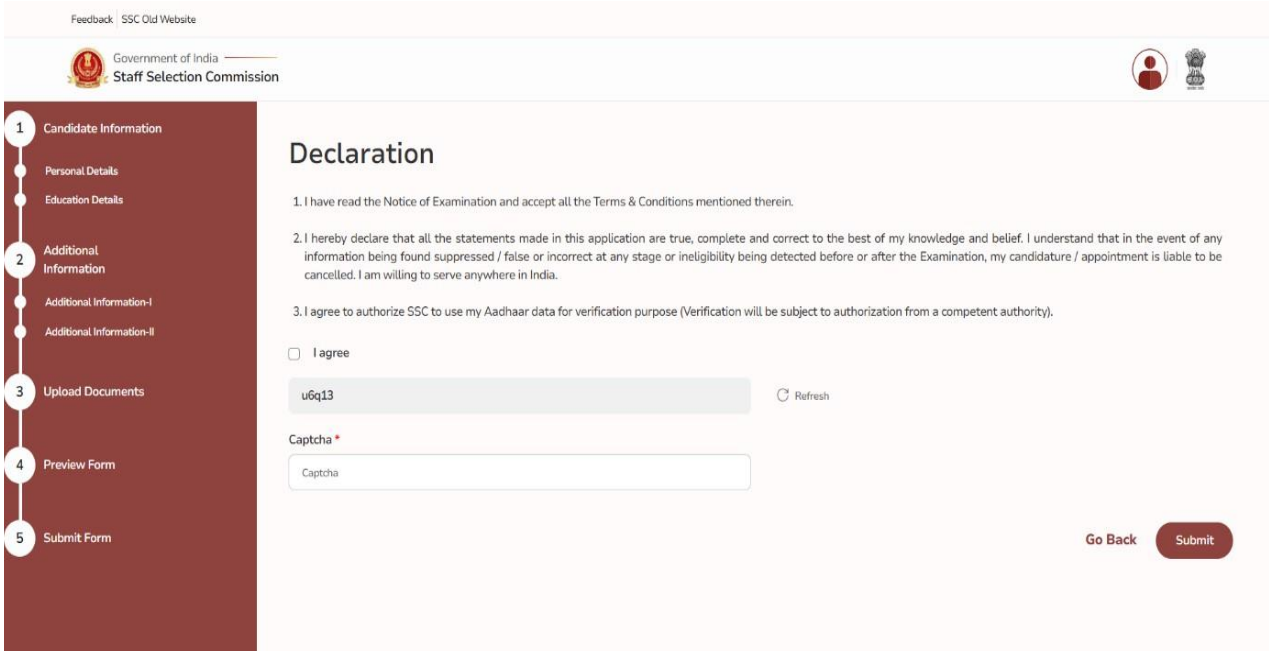
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form
Declaration
1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed / false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature / appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose (Verification will be subject to authorization from a competent authority).
I agree
u6q13
Refresh
Captcha *
Captcha
Go Back
Submit

<u>अनुबंध- V</u>

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) ____________ (रैंक)______________ (नाम)________________________ (दिनांक)_____________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर

स्थानः

दिनांकः

अनुबंध- VI

भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली वचन बद्धता

मैं ………………………………………………, अनुक्रमांक…………………………
....परीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूं और एततद्वारा वचनबद्ध हूं कि :

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का/की हकदार हूं।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) मेंभूतपूर्व-सैनिकों कोपुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ……………… .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूं कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ……………… .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूं;

मैं एततद्वारा घोषणा करता /करती हूं कि उपरोक्त विवरण जहां तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी ।

हस्ताक्षर: …………………
नाम: ……………
अनुक्रमांक: ....
दिनांक: ……………
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: ……………
कार्यमुक्ति की तिथि: ……………
अंतिम इकाई / कोर: ……………
मोबाइल नंबर: ……………
ईमेल आईडी:.....................

अनुबंध-VII

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.. पुत्र/पुत्री..निवासी ग्राम/कस्बा* .... जिला/संभाग*......................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.................................के ....
जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950....................
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950............................
@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*..
@संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*..

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित) आदेश,1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986, और गोवा, दमन तथा दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959@

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962@
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002@

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ________ के पिता/ माता श्री/श्रीमती ________ निवासी ________ग्राम/कस्बा* ________ जिला/संभाग* ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ________ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो ________ दिनांक ________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी...और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*.......................जिला/संभाग*...............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र........................में रहता है।

स्थान..
दिनांक................................ हस्ताक्षर __________
**पदनाम __________________
(कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20 में दिया है।

<u>**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-</u>

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट+/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
(+प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक के सचिव/ विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

अनुबंध-VIII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... पुत्र/ पुत्री .... ग्राम/ कस्बा ....जिला/ संभाग ....राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के .... समुदाय से संबंधित हैं जो दिनांक------संकल्प सं.---------- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।*

श्री/श्रीमती/कु०...तथा/या उनका परिवार सामान्यतः ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था.-(एससीटी), दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन सं.36033/3/2004-स्था.-(रेस), दिनांक 9 मार्च, 2004, कार्यालय ज्ञापन सं.36033/3/2004-स्था.-(रेस), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008, कार्यालय ज्ञापन सं.36033/1/2013-स्था.-(रेस), दिनांक 27 मई, 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर......................

पद..................................$

दिनांकः

मुहर :

---

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

**- समय समय पर यथा संशोधित

$- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जारी करने वाले के समान होगी।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध- IX

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला

प्रमाण-पत्र संख्या_______________ दिनांक __________________

वर्ष 2026-2027 के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी __________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी _______________स्थायी निवासी ____________________गाँव/गली ______________ डाकघर ____________________ जिला ____________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ____________________ पिन कोड ___________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से **कोई संपत्ति*** नहीं है** :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _________________________ का संबंध _______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.................................

नाम ....

पदनाम..................................

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

---

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

अनुबंध -X

प्रारूप-V

नि:शक्तता प्रमाण पत्र
(एकल नि:शक्तता के मामले में)
[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांगजन का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र/यूडीआईडी सं **जारी करने की तिथि:**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने <आवेदक का नाम> सुपुत्र/ पत्नी/सुपुत्री <अभिभावक/माता/पिता का नाम> जन्मतिथि <दि./म./व.>, लिंग <पुरूष/महिला/ट्रांसजेन्डर) पंजीकरण संख्या <यूडीआईडी अनुक्रमांक>, स्थायी आवास <दिव्यांग का पता> जिनका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच की है एवं मैं/ हम संतुष्ट हैं किः-

(क) उनका मामला (निम्नलिखित में से कोई एक दिव्यांगता):

i. गतिविषयक विकलांगता
ii. पेशी संबंधी कुपोषण
iii. अभिसाधित कुष्ठ
iv. बौनापन
v. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
vi. तेजाब हमले के पीड़ित
vii. अल्प दृष्टि
viii. नेत्रहीनता
ix. श्रवण दिव्यांगता
x. वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
xi. बौद्धिक दिव्यांगता
xii. विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता
xiii. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
xiv. मानसिक बीमारी
xv. चिरकालिक तांत्रिक संबंधी विकार
xvi. मल्टीपल स्लेरोसिस
xvii. पार्किन्सन बीमारी

xviii. हेमोफिलिया

xix. थेलेसेमिया

xx. सिकल सेल डिसीज़

(ख) शरीर के प्रभावित भाग का नाम :

(ग) उनके मामले में ....निदान किया गया है।

(घ) वे ____________%((आंकड़ों में)____________प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप {स्थायी/अस्थायी और (दिदि/मामा/ववвв) तक वैध है}, जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक < दिदि/मामा/वववव> को जारी <अधिसूचना संख्या> के अनुसा,र दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों में उल्लिखित है।

दिव्यांगत व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अनुबंध- XI

प्रारूप-VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(बहु नि:शक्तता संबंधी मामलों में)
[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांगजन का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र/यूडीआईडी सं **जारी करने की तिथि:**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमनें <आवेदक का नाम> सुपुत्र/ पत्नी/सुपुत्री <अभिभावक/माता/पिता का नाम> जन्मतिथि <दि./म./व.>, लिंग <पुरूष/महिला/ट्रांसजेन्डर) पंजीकरण संख्या <यूडीआईडी अनुक्रमांक>, स्थायी आवास <दिव्यांग का पता> जिनका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच की है एवं मैं/ हम संतुष्ट हैं किः-

(क) उनका मामला **बहु नि:शक्तता** का है । भारत सरकार द्वारा दिनांक (दिदि/मामा/ववव) को जारी <अधिसूचना संख्या> के माध्यम से अधिसूचित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट निःशक्तता दिव्यांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन किया गया है:

क्र. सं.	**दिव्यांगता**	**शरीर के प्रभावित अंग**	**निदान**	**दिव्यांगता प्रतिशतता**
1.	गति विषयक दिव्यांगता			
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	ऐसिड हमले के पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि			
8.	नेत्रहीनता			
9	श्रवण दिव्यांगता			

10.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
11.	बौद्धिक दिव्यांगता			
12.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
13.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
14.	मानसिक बीमारी			
15.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
16.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
17.	पार्किन्सन बीमारी			
18.	हेमोफिलिया			
19.	थेलेसेमिया			
20.	सिकल सेल डिसीज़			

(नोट: केवल निदान की गई विकलांगताओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा)

(ख) उन्हें कुल मिलाकर _______________% (अंकों में) ____________(शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप {स्थायी/अस्थायी है (दिदि/मामा/वववव) तक वैध है}

दिव्यांगत व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्यों के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

अनुबंध-XII

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	**कोड**
अनुवाद में प्रमाणपत्र	03
अनुवाद में डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए.(आनर्स)	06
बी. कॉम.	07
बी. कॉम. (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टेक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी.)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टेक	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एम.सी.ए	33

एम.बी.ए	34
अन्य	35

अनुबंध-XIII

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अनुवादक के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सीय मानक

1. **शारीरिक दक्षता परीक्षा**

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की **'अनुसूची-I'** के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केंद्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केंद्र में किया जाएगा।

2. शारीरिक मापदंड: जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की **"अनुसूची-II"** में उल्लेख किया गया है।

3. (क) **चिकित्सा मानक :** अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप, कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की **'अनुसूची-III'** में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) **चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच**: प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उत्तरवर्ती उप पैरा में उल्लेख किया गया है :

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को जीआरईएफ केंद्र सहित संबंधित भर्ती केंद्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा जीआरईएफ केंद्र सहित प्रत्येक भर्ती केंद्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद **चिकित्सा बोर्ड** द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है तो **संबंधित भर्ती केंद्र अथवा जीआरईएफ केंद्र** के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को मामला भेजा

जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानत: चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अंदर दे दिए जाएं।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।

(vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(viii) **अस्थायी रूप से 'अनफिट'**- अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) **चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट'** - चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केंद्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केंद्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुन: **'अनफिट'** पाया जाता है तो उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी **'फिट'** पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) **शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट**- शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता अथवा कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों

का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यदि जीआरईएफकेंद्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने की माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी । पुन: मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ix) **स्थायी रूप से 'अनफिट'** - स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा ।

(क) **चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से 'अनफिट'** - चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ जीआरईएफकेंद्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुन: चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/- रूपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनफिट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) **शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट'**- जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती । तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, जीआरईएफ केंद्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम (एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी ।

(x) **दृष्टि संबंधी मापदंड**- दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(XI) **शल्य चिकित्सा**- यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है(उदाहरणत: हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोलॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटॉमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात 2 माह के भीतर । ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(ग) **चिकित्सा योग्यता :** इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे।

(i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्याता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा । निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यधीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा।

(iv) जीआरईएफ केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा।

4. **अभ्यर्थिता रद्द करना**: यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. **नियमों में छूट की शक्ति**: जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

6. **व्यावृति:** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए कोई भी किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची-I

<table>
<tr><th colspan="4">शारीरिक दक्षता परीक्षा (समूह ‘ग’ पदों के लिए)</th></tr>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>कार्यकलाप</th><th>अधिकतम अंक</th><th>उपलब्ध समय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>एक मील की दौड़</td><td>केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।</td><td>10मिनट</td></tr>
<tr><td colspan="4">नोट -(i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है ।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।</td></tr>
</table>

अनुसूची-II

कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

क्रम सं.	क्षेत्र	राज्य /सम्मिलित क्षेत्र	शारीरिक मानक		
			न्यूनतम ऊंचाई	सीना	न्यूनतम वजन
क	पश्चिमी हिमालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व पंजाब के मध्य दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र एवं मुकेरियन होशियार पुर की सड़क के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र, गढ़ शंकर, रोपड़ व चंडीगढ़), उत्तराखंड	158 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंपोंग जिले तथा अंडमान निकोबार)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	162.5 सेमी	न्यूनतम 76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
घ	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखंड	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
ड.	मध्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर एवं हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
च	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
छ	सेवारत/**पूर्व-जीआरईएफ** कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
ज	डीडी मामलों में छूट (यह अपने स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू होगा परंतु किसी अन्य संबंधी के लिए लागू नही होगा)		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
झ	गोरखा (भारतीय निवासी)		152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5किग्रा.

<u>अनुसूची-III</u>

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ अच्छा होना चाहिए। उसकी शारीरिक संरचना संबंधी या अधिग्रहित विकलांगता नहीं होनी चाहिए जिससे भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे कर्तव्यों, विशेषतः ऊचाई पर और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के किसी अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामाकंन अधिकारीको लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2ए

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा मदों को जीआरईएफ/मेड/2ए का सारणी संख्या 1 चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2ए पूरा करेगा।
5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टयों की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च

बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ गम्भीर अन्याय होगा। अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं

6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमियों पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)

ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।

ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई अपसामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।

घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।

ङ. कि वह ग्रंथियों की सूज़न से पीड़ित नहीं है।

च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।

छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।

ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।

ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।

ट. कि उसके किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।

ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।

ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगाः-

क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)

ख. असामान्य चाल

ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)

घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, मुड़े हुए पैर ,सपाट पैर)

ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि

च. बधिरता

छ. हकलाना

ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)

झ. यौन संचारित रोग

ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना

ट. वर्णांधता के मामले

ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नियल ओपेसिटिस

ड. कान के पर्दे में छेद

ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका

ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत

त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण

थ. अंतःस्त्रावी विकार

द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप>140/95mm Hg)

ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले

न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन

प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो

फ. केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

<u>अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार</u>

9. अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैः-

क. प्टेरिजियम

ख. नेत्र शोध

ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चशमे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)

घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III

ङ. विपथित नासिका झिल्ली

च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन

छ. कुछेक दांतों में सड़न (डेंचर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)

ज. पिट्रीएसिस वेर्सिकॉलर

झ. टीनियाक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि

ञ. प्लैंटर मस्से

ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसील

ठ. वेरीकोस वेंस

ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर

ढ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण

ण. गाइनेकोमस्टिया

त. रक्त क्षीणता

थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली

द. 30 से ऊपर बीएमआई (तीन महीने के भीतर बीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

<u>छोटी कमियों वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता</u>

10.निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-

क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।

ख. थोडे मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)

ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)

घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर

ड. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)

च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।

छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा

ज. थोड़ा हकलाना

झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर

ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर

ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)

ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता

ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर

ढ. वेरीसिस का कम स्तर

ण. टिनिआ वेर्सिकोलर

त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)

थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भो में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में अवश्य दर्ज किया जाए।

अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

11. (क) **स्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/ योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा **अस्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की**,** अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/ अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।

12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।

13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/ मेड/ 2ए में नोट किया जाए।

14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्राय: कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यत:, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/ मेड/ 2ए में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकृति के सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।